

ज्ञानशौर्यम्



ISSN : 2582-0095

**Peer Reviewed and Refereed International
Scientific Research Journal**

Website : <http://gisrrj.com>



GYANSHAURYAM

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED

RESEARCH JOURNAL

Volume 6, Issue 1, January-February-2023

Email : editor@gisrrj.com Website : <http://gisrrj.com>



ज्ञानशौर्यम्

**Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal**

Volume 6, Issue 1, January-February-2023

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

**Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication**

**Published By
Technoscience Academy**



Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**
Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**
Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**
Director, Central Sanskrit University, Bhopal Campus. Madhya Pradesh, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**
Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**
Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Parag B Joshi**
Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**
Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**

Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**

SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**

Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**

Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada

- **Prof. Daya Shankar Tiwary**

Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India

- **Prof. Satyapal Singh**

Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India

- **Dr. Ashok Kumar Mishra**

Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India

- **Dr. Raj Kumar Mishra**

Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India

- **Dr. Somanath Dash**

Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
 - **Dr. Raja Mohammad Latif**
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin
Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
 - **Dr. Abul Salam**
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
-

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar,
Uttarakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar,
Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University,
Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	Properties of Homomorphism on Rings Dr. Rajesh Kumar	01-05
2	धर्मनिरपेक्षता के पाश्चात्य एवं भारतीय सन्दर्भ डॉ. पांचू राम मीणा	06-09
3	हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों तथा संशोधनों के प्रति महिलाओं में प्रतिक्रियाएँ (दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के संदर्भ में) डॉ. उदयवीर सिंह	10-14
4	Tribes Impact : Legal and Administrative System Dr. Amulya S. Suman	15-21
5	मुंडाओं के देश में "गीत और संगीत"- वर्तमान परिदृश्य सोमनाथ पुरती	22-24
6	महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : झारखंड के विशेष सन्दर्भ में कविता सिन्हा	25-27
7	महिला शिक्षा विकास: डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान रमेश कुमार भट्ट	28-31
8	सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक बिनोद बिहारी महतो: एक विवेचन नागेश्वर प्रजापति	32-36
9	तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव - एक अध्ययन (झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के विशेष संदर्भ में) डॉ अशोक कुमार किस्कू	37-42
10	21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियाँ और शिक्षा बजट -एक समीक्षात्मक अध्ययन डॉ उषा ओझा	43-50
11	समग्र विकास हेतु महिला शिक्षा की उपयोगिता डॉ. शाहेदा सिद्दिकी	51-57
15	काव्यशास्त्र का उद्भव तथा विकास: एक संक्षिप्त परिचय डॉ. दिलीप कुमार	58-62



Properties of Homomorphism on Rings

Dr. Rajesh Kumar

Assistant Professor, Department of Mathematics, Government College Puranpur, Pilibhit, Uttar Pradesh, India

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1
January-February-2023

Page Number : 44-60

Article History

Accepted : 01 Jan 2023
Published : 14 Jan 2023

ABSTRACT

The purpose in this paper is to determine the finiteness properties of the homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ (i.e., whether it is finite, integral, singly generated or finitely generated) in terms of the properties of the map $X \rightarrow Y$.

Keywords : Continuous Functions, Finite Homomorphism

Introduction

We shall see the, in order to study finiteness properties between the associated rings of continuous functions, the problem for compactifications is equivalent to the problem for arbitrary compact Hausdorff spaces. The main result of the paper says that, for X and Y compact Hausdorff spaces, the homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite ($C(X)$ is finitely generated as $C(Y)$ -module) if and only if the map $X \rightarrow Y$ is locally injective. We show examples of finite but not singly generated, as well as integral but not finite, homomorphisms $C(Y) \rightarrow C(X)$. Every continuous map $X \rightarrow Y$ defines, by composition, a homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ between the corresponding algebras of real-valued continuous functions. This paper is devoted to the study of the finiteness properties of this homomorphism. Our starting point is the well-known result which states that every real compact space X is determined by the algebra $C(X)$ of all real-valued continuous functions defined on it, and that continuous maps between their algebras of continuous functions. From this equivalence it follows that statements about topological properties of spaces and maps should have a natural translation in terms of algebraic properties of the corresponding algebras and homomorphisms.

Finite spaces- In this section we study the simplest case of the problem: when the space Y is finite. First, we investigate the finiteness properties of $C(X)$ as an \mathbb{R} -algebra, i.e., of the homomorphism $\mathbb{R} = C(\{p\}) \rightarrow C(X)$ given by a constant map $X \rightarrow Y = \{p\}$.

Proposition 1. The following conditions are equivalent for a completely regular (Hausdorff) space X :

- (1) X is a finite space.
- (2) $C(X)$ is a finite \mathbb{R} -algebra.

- (3) $C(X)$ is an integral \mathbb{R} -algebra.
- (4) $C(X)$ is a singly generated \mathbb{R} -algebra.
- (5) $C(X)$ is a finitely generated \mathbb{R} -algebra.

Proof. (1) \Rightarrow (2) If $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, then $C(X) = C(\{x_1\}) \oplus \dots \oplus C(\{x_n\}) = \mathbb{R} \oplus \dots \oplus \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$.

(2) \Rightarrow (3) Every finite ring homomorphism is integral.

(3) \Rightarrow (1) If every function $f \in C(X)$ is a root of a polynomial with real coefficients, then $f(X)$ is finite, and then so is X , because in an infinite completely regular space we can always define a real continuous function with infinite range.

(1) \Rightarrow (4) We shall see that $C(X) = \mathbb{R}[f]$, for any function f that separates points in $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Set $\lambda_i = f(x_i)$, and take

$$f_i = \frac{\prod_{i \neq j} (f - \lambda_j)}{\prod_{i \neq j} (\lambda_i - \lambda_j)}, \quad \text{for } 1 \leq i \leq n.$$

Certainly $f_i \in \mathbb{R}[f]$. Moreover, $f_i(x_i) = 1$ and $f_i(x_j) = 0$ for $j \neq i$. Finally observe that, for any $g \in C(X)$, $g = \sum_{i=1}^n g(x_i) f_i \in \mathbb{R}[f]$.

(4) \Rightarrow (5) this follows from the definitions.

(5) \Rightarrow (1) The number of minimal prime ideals of a finitely generated \mathbb{R} -algebra is finite (because it is a noetherian ring). In $C(X)$ each prime ideal is contained in a unique maximal ideal. Hence, if $C(X)$ is a finitely generated \mathbb{R} -algebra, then it has only finitely many maximal ideals, and so the space X is finite.

Corollary 2. Let $\pi: X \rightarrow Y$ be a continuous map between compact Hausdorff spaces. If the induced homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite (integral, singly generated or finitely generated), then each fibre $\pi^{-1}(y)$ is a finite set.

Proof. By Tietze's extension theorem, $C(\pi^{-1}(y))$ is a quotient ring of $C(X)$. This implies that if $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite (integral, singly generated, finitely generated), then so is $\mathbb{R} = C(y) \rightarrow C(\pi^{-1}(y))$.

Corollary 3. Let Y be a finite space, and $\pi: X \rightarrow Y$ be a continuous map. The following conditions are equivalent:

- (1) X is a finite space.
- (2) $C(Y) \rightarrow C(X)$ is a finite.
- (3) $C(Y) \rightarrow C(X)$ is an integral.
- (4) $C(Y) \rightarrow C(X)$ is a singly generated.
- (5) $C(Y) \rightarrow C(X)$ is a finitely generated.

Proof. (1) \Rightarrow (2), (1) \Rightarrow (3), (1) \Rightarrow (4) and (1) \Rightarrow (5) If $C(X)$ is a finite (integral, singly generated or finitely generated) \mathbb{R} -algebra, then it has the same property as $C(Y)$ -algebra

The converse follows directly from 2.

Finite homomorphisms

Proposition 1. Let $\pi: X \rightarrow Y$ be a continuous map between real-compact spaces. If the homomorphisms $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite, then the continuous extension of π to the Stone- Cech compactifications, $\beta\pi: \beta X \rightarrow \beta Y$, is a locally injective map.

Theorem 2. Let $\pi: X \rightarrow Y$ be a continuous map between compact Hausdorff spaces. The homomorphisms $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite if and only if the map $\pi: X \rightarrow Y$ is locally injective.

Proof. Suppose that $\pi: X \rightarrow Y$ is locally injective. Every point $x \in X$ has a co-zero neighbourhood U such that π is injective on \bar{U} , the closure of U . Then $C(\bar{U}) \simeq C(\pi(\bar{U}))$ and, by Tirtze's extension theorem, the homomorphisms $C(Y) \rightarrow C(\pi(\bar{U})) \simeq C(\bar{U})$ is surjective.

The space X can be covered by a finite number of these co-zero sets, $X = \text{coz}(g_1) \cup \dots \cup \text{coz}(g_n)$. Since $\text{coz}(g_i) = \text{coz}(g_i^2)$, we can take $g_i \geq 0, \forall_i$. The functions $h_i = g_i/(g_1 + \dots + g_n), i = 1, \dots, n$, generate $C(X)$ as a $C(Y)$ -module: for every $f \in C(X)$, there exist functions $f_1, \dots, f_n \in C(Y)$ such that $f = f_i$ in $\text{coz}(g_i)$, i.e., $g_i \cdot f = f_i \cdot g_i$, so $(\sum g_i)f = f_1 \cdot g_1 + \dots + f_n \cdot g_n$ and $f = f_1 \cdot h_1 + \dots + f_n \cdot h_n$.

Proposition 3. Let $\pi: X \rightarrow Y$ be a continuous map between real-compact spaces. If the homomorphisms $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite, then π is a closed map and the space X can be covered by a finite number of co-zero sets, $X = \text{coz}(g_1) \cup \dots \cup \text{coz}(g_n)$, such that π is injective on each closure $\overline{\text{coz}(g_i)}$. Consequently, $|\pi^{-1}(y)| \leq n \forall y \in Y$.

Proof. Assume that the homomorphisms $\phi: C(Y) \rightarrow C(X)$ ($\phi(f) = f \circ \pi$) is finite. According to 1, the map $\beta\pi: \beta X \rightarrow \beta Y$ is locally injective, so that βX may be covered by a finite number of co-zero sets such that $\beta\pi$ is injective on each closure, and obviously the same happens for X and π .

Next we shall prove that π is a closed map. First of all, take into account that $\beta\pi: \beta X \rightarrow \beta Y$ is closed map. If we show that $\beta\pi$ transforms $\beta X - X$ into $\beta Y - Y$, then $X = \beta\pi^{-1}(Y)$, and so $\pi = \beta\pi|_X: X \rightarrow Y$ is also a closed map.

In order to prove that $\beta\pi$ carries $\beta X - X$ into $\beta Y - Y$, we are going to describe the space βX and the map $\beta\pi$ in terms of prime ideals in $C(X)$.

Let $\text{Spec } C(X)$ be the prime spectrum of the ring $C(X)$, that is, the set of prime ideals in $C(X)$ endowed with the Zariski (or hull-kernel) topology. Recall that the subspace $\text{Max } C(X)$ of $\text{Spec } C(X)$ consisting of all maximal ideals in $C(X)$ is just βX .

Each prime ideal in $C(X)$ is contained in a unique maximal ideal and the map $r_X: \text{Spec } C(X) \rightarrow \text{Max } C(X)$ that sends each prime ideal in $C(X)$ to the unique maximal ideal in $C(X)$ containing it, is a continuous retraction.

The map between the prime spectra $\text{Spec } C(X) \rightarrow \text{Spec } C(Y)$ that sends each prime ideal P in $C(X)$ to the prime ideal $\phi^{-1}(P) = \{f \in C(Y) : f \circ \pi \in P\}$ is also a continuous map. The restriction of this map to βX , is just $\beta\pi: \beta X \rightarrow \beta Y$.

Given a point $p \in \beta X$, let M_p be the corresponding maximal ideal in $C(X)$. According to the above description of $\beta\pi$, the maximal ideal in $C(Y)$ corresponding to the point $q = \beta\pi(p)$ is just $r_Y(\phi^{-1}(M_p))$, that is, $M_q = r_Y(\phi^{-1}(M_p))$. As the homomorphism $\phi : C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite, $\phi^{-1}(M_p)$ is a maximal ideal in $C(Y)$, and so $M_q = r_Y(\phi^{-1}(M_p)) = \phi^{-1}(M_p)$. The homomorphism induced by ϕ between the quotient fields $C(Y)/M_q \rightarrow C(X)/M_p$ is injective and also finite. Therefore, $C(X)/M_p$ is an algebraic extension of $C(Y)/M_q$. Moreover, the field $C(X)/M_p$ is totally ordered and $C(Y)/M_q$ is real-closed, that is to say, it has no proper algebraic extensions to an ordered field. Hence, the homomorphism $C(Y)/M_q \rightarrow C(X)/M_p$ is an isomorphism. This implies that $C(Y)/M_q = \mathbb{R}$ or, equivalently, $q \in Y$ if and only if $C(X)/M_p = \mathbb{R}$, i.e., $p \in X$.

The converse of this result is true for normal spaces Y .

Theorem 4. Let $\pi : X \rightarrow Y$ be a continuous map between realcompact spaces and suppose that Y is a normal space. The homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite if and only if π is a closed map and the space X can be covered by a finite number of co-zero sets, $X = \text{coz}(g_1) \cup \dots \cup \text{coz}(g_n)$, such that π is injective on each closure $\overline{\text{coz}(g_i)}$.

Proof. The proof is entirely analogous to 2.

The following example shows that the converse of 1 is not true, and that Theorem 2 does not hold for non-compact spaces.

Example. A continuous injective map $\pi : X \rightarrow Y$ such that $\beta\pi : \beta X \rightarrow \beta Y$ is a homomorphism and the homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ is not finite.

Let $\Sigma = \mathbb{N} \cup \{p\}$, where $p \in \beta\mathbb{N} - \mathbb{N}$. Σ is a realcompact and normal space, and \mathbb{N} is dense and C^* -embedded in Σ . Therefore, $\beta\mathbb{N} = \beta\Sigma$. The homomorphism $C(\Sigma) \rightarrow C(\mathbb{N})$ induced by the inclusion map $\mathbb{N} \rightarrow \Sigma$ is not finite, because \mathbb{N} is not closed in Σ .

A class of locally injective continuous maps of especial interest consists of unbranched coverings, classically studied in connection with the fundamental group. Unbranched finite covering (locally injective, open and closed continuous maps with finite fibres) and branched finite coverings (open and closed continuous maps with finite fibres) are characterized in terms of rings of continuous functions: A continuous map between topological manifolds $\pi : X \rightarrow Y$ is an unbranched finite covering (respectively, a branched finite covering) if and only if the induced homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ is finite and flat (respectively, integral and flat).

We have as yet obtained no analogues of Theorem 2 or 4 for integral, singly generated or finitely generated homomorphisms. However, we do have some partial results. In a paper in preparation, we prove that if the homomorphism $C(Y) \rightarrow C(X)$ induced by a continuous map $\pi : X \rightarrow Y$, between compact Hausdorff spaces, is singly generated, then it is finite, and consequently the map π is locally injective. The converse of this result is not true.

References

1. R.Engelking, General Topology, Heldermann, Berlin, 1989.
2. K.D. Magill Jr, A note on compactifications, Math. Z. 94 (1966). Page No. 322-325.
3. L. Gillman, M. Jersion, Rings of Continuous Functions, Springer, New York, 1978.
4. R.E. Chandler, Hausdroff compactifications, Marcel Dekker, New York, 1976.

धर्मनिरपेक्षता के पाश्चात्य एवं भारतीय सन्दर्भ

डॉ पांचू राम मीणा

(प्रधानाचार्य) कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, ढंढ, आमेर, जयपुर।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1
January-February-2023
Page Number : 06-09

Article History

Accepted : 01 Jan 2023
Published : 14 Jan 2023

ABSTRACT

शोधसारांश— धर्मनिरपेक्षता का दूसरा पक्ष दृष्टिकोण या स्वभाव के सन्दर्भ में हैं। इसमें बौद्धिक एवं वैज्ञानिक उपायो के द्वारा मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की भावना निहित है। यहाँ जीवन एवं जगत की समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद को विकसित करना नागरिकों का कर्तव्य माना गया है।

मुख्य शब्द – धर्मनिरपेक्षता, पाश्चात्य, भारतीय, बौद्धिक, वैज्ञानिक, मानव।

धर्मनिरपेक्षता एक विशेष प्रकार का मानववादी जीवन दर्शन है जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह नैतिक, शैक्षिक, कानूनी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को धर्म एवं अध्यात्म से पृथक तथा स्वतंत्र मानता है। सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से Secularism का अर्थ है— 'सामाजिक एवं राजनीतिक क्रिया-कलापों का निर्देशन धर्म न करें, वहां धर्मनिवेश का प्रभाव या हस्तक्षेप न हो।' दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से पंथों का विलगाव हो, भले ही उस राज्य के नागरिक या उस समाज के व्यक्ति किसी विशेष पंथ या विभिन्न पंथों को स्वीकार करते हों। धर्म निरपेक्षता की इस अवधारणा में सामाजिक, राजनैतिक क्रिया-कलापों के संचालन में कानून की सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है, न कि धर्म की।

साधारणतः पाश्चात्य सन्दर्भ में Secularism के विचार को धर्मों के प्रति तटस्थता, उपेक्षा, उदासीनता या विरोध के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि भारतीय सन्दर्भ में Secularism को पंथ विरोध के रूप में न लेकर मुख्यतः सर्वधर्म समभाव के रूप में स्वीकार किया जाता है।

Secularism के वास्तविक अर्थ, सन्दर्भ एवं उद्देश्य को सम्यकरूपेण जानने के लिए उसके उद्भव की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। चूंकि भारतीय एवं पाश्चात्य सन्दर्भ में इस अवधारणा की उत्पत्ति के पीछे परिस्थितियाँ अलग-अलग रही हैं। अतः इसके अर्थ, स्वरूप एवं उद्देश्य को लेकर परस्पर भिन्नता पायी जाती है। परन्तु कुछ मूल तत्व दोनों में समान पाये जाते हैं।

पाश्चात्य सन्दर्भ में उद्भव की पृष्ठभूमि— Secularism की अवधारणा एक सामाजिक, राजनीति आदर्श के रूप में आयी परन्तु इसकी पृष्ठभूमि 15वीं सदी में ही बननी शुरू है गयी थी जिसे पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आन्दोलनों में देखा जा सकता है। जब विज्ञान, तर्क मानववाद एवं इहलौकिकता का उदय हो रहा था।

मध्य युग में यूरोप की राजनीतिक सत्ता पर धर्म का प्रभुत्व था। राजनीतिक सत्ता की वैधता धार्मिक समर्थन पर आधारित थी। सत्ता और समाज दोनों पर धर्म का आधिपत्य था। नियम अंधविश्वास, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादियों से ग्रसित थे। यही कारण था कि मध्ययुग को अंधकार युग कहा जाता है।

परन्तु पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आन्दोलनों के साथ नई वैज्ञानिक विधियों के उभार, खोज एवं विस्तार ने प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक मान्यताओं एवं नियमों को निराकृत कर दिया। आस्था, भक्ति एवं श्रद्धा के स्थान पर मानवीय अनुभव एवं तर्क बुद्धि की महत्ता को स्थापित किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में धर्म के अवैध प्रभुत्व से सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन को स्वतंत्र करने हेतु यूरोप में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, राज्य एवं चर्च के मध्य संघर्ष हुआ और इस क्रम में राज्य के क्रिया-कलापों को धर्म से पृथक् माना गया तथा धर्म के प्रभुत्व को अस्वीकृत कर दिया गया। धर्म को केवल धर्म के क्षेत्र में सीमित कर दिया गया। इन्हीं सुधारों एवं नवीन विचारों के आलोक में यूरोप में राज्य का जो स्वरूप उभरा उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। इसके अनुसार **Secularism** का अर्थ है— 'राज्य सत्ता पर धर्म का प्रभाव न होना तथा राजनैतिक क्षेत्र से धर्म का बहिष्कार। यही कारण है कि यूरोप में धर्मनिरपेक्षता प्रधानतः एक राजनैतिक अवधारणा है।

पुनर्जागरण काल से 18वीं सदी तक लगभग 400 वर्षों में यूरोप में जिस नवीन बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, उसी ने सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता को जन्म दिया। इंग्लैण्ड के निरीश्वरवादी विचारक जार्ज जैकब होलियोक ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसका शाब्दिक अर्थ है— 'यह वर्तमान युग।' इस सिद्धान्त में ईश्वर एवं अन्य अलौकिक सत्ताओं का विरोध किया गया है, परन्तु नैतिकता का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. जीवन एवं जगत की समस्याओं के क्रम में धर्म की भूमिका को नकारते हुए उससे उदासीन रहना।
2. अलौकिक एवं अतीन्द्रिय सत्ताओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए केवल इहलौकिकता में विश्वास करना।
3. विज्ञान के नियमों एवं सिद्धान्तों में विश्वास करते हुए मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना।
4. वैचारिक स्वतंत्रता एवं तर्कपूर्ण चिन्तन पर बल देना।
5. मनुष्य के वर्तमान जीवन, तथा मनुष्य की बुद्धि एवं मानवीय क्षमता में विश्वास की प्रधानता को महत्व देना।

Secularism के सम्बन्ध में **Encyclopedia of religion & Ethics** में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता राजनैतिक एवं दार्शनिक रूप में एक ऐसी अवधारणा है जो उद्देश्यपूर्ण रूप से नैतिक परन्तु धार्मिक रूप से निषेधात्मक है।

Encyclopedia of Britanica में **Secularism** का आशय धार्मिक एवं अध्यात्मिक विषयों से पृथक् उदासीन इहलौकिक, विचारों की स्वीकृति है।

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के दो पक्ष हैं— सकारात्मक एवं नकारात्मक। नकारात्मक पक्ष के भी दो सन्दर्भ हैं। प्रथम धर्म के प्रति उपेक्षा, तटस्थता, उदासीनताया विरोध का भाव तथा द्वितीय राजनैतिक सामाहिक क्रिया-कलापों एवं गतिविधियों को धर्म के प्रभाव से मुक्त करना। जब कि सकारात्मक रूप में धर्मनिरपेक्षता का आशय वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं बौद्धिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान करना जिसमें

इहलौकिकता पर जोर होता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल संदेश है— 'इसी संसार और मनुष्य के वर्तमान जीवन के विषय में विचार करो, दैवीय शक्तियों एवं परलोक में नहीं।' इस रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद मानववाद पर आधारित हो जाती है।

धर्मनिरपेक्षता बनाम मानववाद— सही अर्थों में धर्म निरपेक्षता मानववाद का ही एक अंग है। प्रकृतिवादी मानवाद में परम्परागत धर्म अथवा पारलौकिकता का विरोध किया जाता है। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्षतावाद में धर्म के प्रति उपेक्षा या तटस्थता की नीति अपनायी जाती है। इसके अनुसार ईश्वरवाद एवं अनीश्वरवाद दोनों को ही उपेक्षित करना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से न तो इन्हें स्वीकार किया जा सकता है और न ही अस्वीकार किया जा सकता है। अर्थात् धर्म सम्बन्धी विचारों के प्रति उपेक्षा या उदासीनता अपनाना ही धर्मनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य है।

धर्मनिरपेक्षता V/s नैतिकता— धर्म निरपेक्षता की यह मान्यता है कि नैतिकता धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके अनुसार धर्म, ईश्वर, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क इत्यादि पारलौकिक सत्ताओं एवं विचारों में विश्वास किये बिना भी मनुष्य नैतिक दृष्टि से उन्नत जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः नैतिकता को धर्म पर आधारित करना अनुचित है। वास्तविक स्थिति यह है कि स्वयं धर्म ही नैतिकता पर आधारित है। क्योंकि बिना नैतिक प्रत्ययों को जानने ईश्वरवादी भी ईश्वर को दयालु, करुणामयी, न्यायी, कृपालु आदि नहीं कह सकते। यहाँ धर्मनिरपेक्षतावादियों का यह कहना है कि नैतिकता मानव के कल्याण का साधन है। अतः मानवीय सन्दर्भ में वे उपयोगिता को ही नैतिकता के एक मात्र तर्क संगत मानदण्ड के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य अपनी विवेक शक्ति एवं तर्कता के आधार पर मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए नैतिक मानदण्डों को स्थापित कर सकता है।

भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति— भारतीय धर्मनिरपेक्षता मुख्यतः साम्प्रदायिकता विरोधी अवधारणा मानी जाती है। पाश्चात्य के Secularism में धर्म के प्रति तटस्थता या उपेक्षा का भाव है वहीं भारतीय सन्दर्भ में इसका आशय सभी धर्मों के समान संरक्षण से है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब का Secularism हिन्दी रूपान्तरण धर्म निरपेक्षता द्वारा किया जाता है तो वहाँ धर्म का अर्थ परम्परागत रूप से भारतीय संस्कृति में प्रचलित धर्म (Dharma) से नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ 'धर्म' का आशय स्वकर्तव्य पालन या नैतिक सद्गुणों से है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिन्दी रूपान्तरण में Secularism के लिए 'पंथनिरपेक्षता' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अभिप्राय है— पंथ, सम्प्रदाय या मजहब से राजनीति का तटस्थ रहना, पृथक रहना।

उद्भव की पृष्ठभूमि— भारतीय सन्दर्भ में यूरोप की भांति किसी एक धार्मिक सम्प्रदाय का महत्व कभी नहीं रहा। बल्कि यहाँ धार्मिक सम्प्रदायों की शुरु से विविधता रही है। सत्य ही यहाँ राजनैतिक व्यवस्था की वैधता धर्म की स्वीकृत पर आधारित नहीं थी। इसी कारण भारतीय पंथ निरपेक्षता का उद्भव एवं विकास पश्चिमी देशों की भांति धार्मिक आसीओं, मान्यताओं एवं विश्वासों के प्रति किसी प्रकार के संदेह के उत्पन्न होने या उनके सम्बन्ध में नकारात्मक तार्किक प्रश्न उत्पन्न होने के क्रम में नहीं हुआ। भारत में संगठित धार्मिक संस्थाओं की अनुपस्थिति के कारण धर्म एवं राज्यसत्ता में सीधा संघर्ष नहीं था। वस्तुतः भारतीय पंथ—निरपेक्षता एक बहु—धार्मिक समाज में विभिन्न सम्प्रदायों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनी धार्मिक गतिविधियों एवं अस्तित्व को एक दूसरे के हस्तक्षेप एवं आक्रमण से सुरक्षित रखने के प्रयासों का फल है।

भारतीय सन्दर्भ में भी धर्मनिरपेक्षता के दो पक्ष हैं— नकारात्मक एवं सकारात्मक। नकारात्मक पक्ष का आशय है कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, नैतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों से धर्म को दूर किया जाय, उसके हस्तक्षेप से बचाया जाय। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो। दूसरे शब्दों में राज्य धर्म आधारित नहीं हो।

जब कि सकारात्मक पक्ष के दो सन्दर्भ हैं— प्रथम सभी पंथों का समान आदर या सभी पंथों के प्रति समान भाव हो। राज्य सभी पंथों को समान स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करेगा तथा राज्य अपने-अपने नागरिकों की भावनाओं का ख्याल रखेगा। धर्मनिरपेक्षता का दूसरा पक्ष दृष्टिकोण या स्वभाव के सन्दर्भ में हैं। इसमें बौद्धिक एवं वैज्ञानिक उपायों के द्वारा मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की भावना निहित है। यहाँ जीवन एवं जगत की समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद को विकसित करना नागरिकों का कर्तव्य माना गया है। स्पष्ट है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय धर्म विरोधी या धर्म विहीन दृष्टि नहीं है। अपितु सभी धार्मिक विवासाओं एवं मान्यताओं की समान रूपेण स्वतंत्रता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व का भाव प्रकट होता है।

सन्दर्भ

1. पाठक, राममूर्ति, 2004, सामाजिक, राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा, अभिमन्यु प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. पाठक, कृष्णकान्त, 2012 समाज एवं राजनीति दर्शन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. रमेन्द्र 2003 समाज और राजनीति दर्शन एवं धर्म दर्शन मोतीलाल बनारसी दास।
4. मिश्र, डा हृदय नारायण 2005 धर्म दर्शन परिचय शेखर प्रकाशन इलाहाबाद।
5. पाण्डेय, डा जयनारायण, भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 2005।
6. सिंह शिवभानु, समाज दर्शन का सर्वेक्षण, शारदा पुस्तक भण्डार, इलाहाबाद, 2008।

हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों तथा संशोधनों के प्रति महिलाओं में प्रतिक्रियाएँ (दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के संदर्भ में)

डॉ. उदयवीर सिंह

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, के.के. (पी.जी.) कॉलेज, इटावा, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 10-14

Article History

Accepted : 01 Jan 2023

Published : 25 Jan 2023

शोधसारांश – दहेज निरोधक अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सुझाव दें तो प्रत्युत्तर में शत-प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि दहेज निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाय एवं दोषियों के लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि उल्लंघन करने वालों से समाज के अन्य व्यक्ति भी सबक लें। सरकार की कथनी व करनी में अन्तर न हो तो दहेज निरोधक अधिनियम महिलाओं की प्रस्थिति सुधारने में सक्षम हो सकेगा। महिलाओं को भी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे वे अपने ऊपर हो रहे अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार करने में सक्षम हो सकें।

मुख्य शब्द – हिन्दू, महिला, सामाजिक, विधान, दहेज, अधिनियम।

प्रस्तावना – सामाजिक जीवन के सुचारु संचालन के लिए कुछ प्रथाएँ, परम्पराएँ तथा सामाजिक नियमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है परन्तु सामाजिक नियंत्रण के लिए सामाजिक विधानों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। होल्मस ने सामाजिक विधानों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि— “आज का विधान (अधिनियम) कल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। भारत में नारी की गिरती हुई प्रस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों की आवश्यकता महसूस की गई।”

सामाजिक विधान का आशय राज्य द्वारा पारित उन अधिनियमों से होता है जो समाज की भलाई के लिए सामाजिक विघटन को रोकने, सामाजिक कुरीतियों तथा बुराईयों को समाप्त करने एवं समाज सुधार के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कभी-कभी किसी सामाजिक व्यवस्था में ऐसी सामाजिक संस्थाएँ, कुरीतियाँ तथा सामाजिक सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं जो कि मानव-हित के बजाय उसके जीवन के लिए अत्यधिक कष्टदायी सिद्ध होते हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए समाज के चेतन एवं विचारशील व्यक्ति सामाजिक आन्दोलन प्रारम्भ कर देते हैं, हमारा अतीत इसका ज्वलन्त उदाहरण है। परिणामस्वरूप “समाज सुधार की परिणति होती है। इसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए, क्रिया-प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए राज्य की ओर से कानून या अधिनियम पारित किए जाते हैं अथवा फिर उनमें (जो पूर्व अधिनियम पारित हो चुके हैं) में संशोधन पारित किए जाते हैं।” सामाजिक अधिनियम (विधान) कहलाते हैं। समकालीन (आधुनिक) परिवेश में प्रत्येक प्रगतिशील देश में सामाजिक विधानों की उपयोगिता है, परन्तु हमारे देश में जहाँ पर युवक तथा युवतियों के जीवन को मुरझा डालने वाली सामाजिक समस्याओं, बुराईयों एवं कुरीतियों का साम्राज्य है, सामाजिक विधानों का महत्व और

अधिक बढ़ जाता है। समाज की किसी भी विघटित व्यवस्था का कारण, व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर है। अपराध, बाल अपराध, बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, वैश्यावृत्ति आदि का कारण जन्मजात न होकर परिस्थितियों की देन है। ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल राज्य ही सामाजिक विधानों में संशोधन करके अथवा नवीन विधान पारित करके विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है या फिर सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक ढांचे में सामाजिक एवं आर्थिक त्याग एवं समता की स्थापना में विधान एक अत्यन्त गतिशील मान सिद्ध हो सकता है। उक्त तथ्यों के आलोक में शोधार्थी ने हिन्दू महिलाओं से सम्बद्ध सामाजिक विधानों तथा संशोधनों के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रियाओं (दहेज निरोधक अधिनियम-1961 के संदर्भ में) का विश्लेषण करने का प्रयास है।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

1. सूचनादाताओं की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
2. दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति सूचनादाताओं के दृष्टिकोण जानना।
3. दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति सूचनादाताओं की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना।
4. दहेज निरोधक अधिनियम में संशोधन के प्रति सूचनादाताओं के अभिमत जानना।
5. निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन को सम्पादित करने के लिए उ.प्र. के मैनपुरी जनपद में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक की अवधि में पंजीकृत तहसील न्यायालयीन कुल 401 प्रकरणों में से कुल 300 विवाहित महिलाओं के प्रकरणों का चुनाव किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु सामाजिक सर्वेक्षण की साक्षात्कार अनुसूची विधि की प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि तथा असहभागी अवलोकन को अपनाया गया है ताकि तथ्यात्मक निष्कर्ष प्राप्त हो सकें। अध्ययन हेतु सांख्यिकी की विश्लेषण पद्धति को अपनाया गया है।

तथ्य संकलन एवं विश्लेषण— तालिका नम्बर-1 : निदर्शितों की वैयक्तिक एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

क्रमांक	निदर्शितों की आवृत्तियाँ (प्रतिशत)					योग
	परिवर्त्य					
1	आयु (वर्षों में)	20-30 45 (15.00)	30-40 95 (31.66)	40-50 110(36.66)	50 से ऊपर 50 (16.66)	300 (100.00)
2	वैवाहिक स्थिति	विवाहित 78(26.00)	विधवा 112(37.33)	तलाकशुदा 110(36.66)	—	300 (100.00)
3	शैक्षणिक स्तर	अशिक्षित 30 (10.00)	स्कूल स्तर 88 (21.33)	कॉलेज स्तर 172(57.33)	—	300 (100.00)
4	जाति / वर्ग	सामान्य 168(56.00)	पिछड़ी 95 (31.66)	अनु.जाति 37 (12.33)	—	300 (100.00)
5	आय वर्ग	उच्च 175(58.33)	मध्यम 95 (31.66)	निम्न 30 (10.00)	—	300 (100.00)
6	परिवेश	ग्रामीण 35 (11.66)	नगरीय 155(51.66)	कस्बाई 110(36.66)	—	300 (100.00)
7	परिवार का स्वरूप	संयुक्त 120(40.00)	एकाकी 180(60.00)	विस्तारित 00 (00.00)	—	300 (100.00)

(नोट— कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।)

उक्त तालिका नम्बर-1 महिला न्यादशों की सामाजिक-आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है।

दहेज निरोधक अधिनियम-1961— दहेज निरोधक अधिनियम-1961 में कुल मिलाकर 10 धाराएँ हैं। धारा 3 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है या देने लेने में सहायता करता है तो उसे 6 माह का कारावास एवं 5000 रु. तक जुर्माना हो सकता है। परन्तु धारा-7 के अन्तर्गत अदालत भी दहेज निरोधक अधिनियम-1961 के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर विचार करेगी जिसकी शर्त यह है कि उसकी शिकायत लिखित में हुई है। शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के कोर्ट में की जाए तथा दहेज लेने देने के एक वर्ष के अन्तर्गत ही यह शिकायत की जाय। यह अधिनियम कई कारणों से आशातीत परिणाम पाने में असफल एवं असमर्थ रहा है। अतः इसमें संशोधन की परमावश्यकता है एवं वांछनीय भी है।

अनुसंधित्सु ने दहेज निरोधक अधिनियम के सम्बन्ध में निदर्शित सूचनादाताओं की मनोवृत्तियाँ जानने का प्रयास किया है, जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है—

तालिका नम्बर-2 : दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति निदर्शितों के दृष्टिकोण

क्रम	मनोवृत्तियाँ	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	पक्ष	205	68.33
2	विपक्ष	37	12.33
3	उदासीन	30	10.00
4	अनुत्तरित	28	9.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका नम्बर-2 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 महिला सूचनादाताओं में से 205(68.33 प्रतिशत) सूचनादाताएँ पक्ष में, 37(12.33 प्रतिशत) विपक्ष में, 30 (10 प्रतिशत) उदासीन, 28(9.33 प्रतिशत) अनुत्तरित पायी गयीं। परन्तु महिला सूचनादाताओं से प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्राप्त हुए हैं—

तालिका नम्बर-3 दहेज निरोधक अधिनियम के प्रति निदर्शितों की प्रतिक्रियाएँ

क्रमांक	अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाएँ	आवृत्तियाँ		योग
		पक्ष में	विपक्ष में	
1.	दहेज निरोधक अधिनियम निष्प्रभावी मात्र है	290 (96.67)	10 (3.33)	300 (100)
2.	दहेज निरोधक अधिनियम का परिपालन कदापि नहीं हो रहा है—			
	क— दहेज खुलकर लिया जा रहा है	300 (100)	— (0.00)	300 (100)
	ख— दहेज खुलकर दिया जा रहा है	300 (100)	— (0.00)	300 (100)
	ग— दहेज के खुलकर सौदे होते हैं	300	—	300

		(100)	(0.00)	(100)
3.	अधिक दहेज के कारण नव बधुएँ दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाई जा रही हैं	300 (100)	— (0.00)	300 (100)
4.	देहज अभिशाप (कलंक एवं कोढ़) के समान है	300 (100)	— (0.00)	300 (100)

उपरोक्त तालिका नम्बर-3 के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 निदर्शितों में से शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकार करते हुये प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं कि—

1. दहेज समाज के लिए कलंक (अभिशाप) है
2. अधिक दहेज के प्रचलन के कारण नव बधुएँ दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाई जा रही हैं।
3. दहेज खुलकर लिया तथा दिया जा रहा है।
4. दहेज निरोधक अधिनियम दिखावा मात्र है।

अनुसंधित्सु ने सूचनादाताओं से एक प्रश्न किया कि आप उपरोक्त निष्कर्ष किस आधार पर दे रहे हैं? प्रत्युत्तर इस सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं। उनका सन्दर्भ निम्नवत् है—

1. अधिनियम समाज में संतुलन तथा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए होते हैं, जबकि प्रस्तुत अधिनियम नितान्त निष्प्रभावी व असफल हैं।
2. समाज में विवाह-विच्छेदों की दर बढ़ी है।
3. दहेज के सही मुकदमे न्यायालयों में न पहुँचकर झूठे व फर्जी मुकदमे पहुँच रहे हैं।
4. नव बधुओं की असामाजिक मौतें भी दहेज से जोड़ दी जाती हैं।
5. दहेज के कारण आत्महत्याओं की दर बढ़ी है।
6. अपराधों की दर बढ़ी है, आदि-आदि।

स्पष्टतः दहेज निरोधक अधिनियम में अतिशीघ्र संशोधन वाञ्छनीय है, अथवा नहीं, की स्थिति पर निम्न तालिका सूचनादाताओं के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है—

तालिका नम्बर-4 दहेज निरोधक अधिनियम में संशोधन के प्रति निदर्शितों के अभिमत

क्रमांक	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पक्ष में	184	61.33
2.	विपक्ष में	5	1.67
3.	उदासीन	108	36.00
4.	उत्तर नहीं दिए	3	1.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त तालिका के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 300 महिला सूचनादाताओं में से 184(61.33 प्रतिशत) ने दहेज निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन होने चाहिए, 5(1.67 प्रतिशत) ने विपक्ष में, 108(36.00 प्रतिशत) ने उदासीन दृष्टिकोण और 3(1.00 प्रतिशत) ने उत्तर ही नहीं दिए। स्पष्टतः संशोधन अनिवार्यतः वाञ्छनीय है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : दहेज निरोधक अधिनियम-1961 के पक्ष में शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने दृष्टिकोण दर्शाए हैं, परन्तु अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हुए 96.67 प्रतिशत सूचनादाताओं ने दहेज निरोधक अधिनियम को निष्प्रभावी बताया, शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि दहेज लेना एवं देना दोनों की अपराध हैं। किन्तु फिर भी दहेज खुलकर लिया जा रहा है। यहाँ तक कि समाज में दहेज के खुलकर बड़े बेशर्मी से सौदे होते हैं। यह कैसी विडम्बना है? और कैसा कानून? यहाँ तक कि दहेज की बलिवेदी पर कितनी ही नव बधुओं की बलि चढ़ाई जा रही है। इस प्रकार दहेज को समाज का कलंक एवं अभिशाप बताया है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु निम्नांकित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं— शोधार्थी ने सूचनादाताओं से प्रश्न किए कि दहेज निरोधक अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सुझाव दें तो प्रत्युत्तर में शत-प्रतिशत सूचनादाताओं ने बताया कि दहेज निरोधक अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाय एवं दोषियों को कठोरतम दण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, ताकि उल्लंघन करने वालों से समाज के अन्य व्यक्ति भी सबक लें। सरकार की कथनी व करनी में अन्तर न हो तो दहेज निरोधक अधिनियम महिलाओं की प्रस्थिति सुधारने में सक्षम हो सकेगा। महिलाओं को भी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे वे अपने ऊपर हो रहे अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार करने में सक्षम हो सकें।

सन्दर्भ सूची

1. होल्म्स पी.के. सोशल लेजिस्लेशन; इट्स रोल इन सोशल वेलफेयर, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन्स, 1956, पृ. 32
2. रस्तोगी अरुन "स्टेट्स ऑफ वूमेन" इण्डियन काउन्सिल ऑफ स्पेशल साइंस रिसर्च पब्लिकेशन्स न0 107, 1977
3. वाडिया एस.एच. आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (राज.) जयपुर 1983 पृ. 57
4. अग्रवाल ऊषा दहेज एवं आत्महत्याएँ, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, 23 सितम्बर 1990, पृ. 8
5. सिंह एस.डी. वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर, 1986, पृ. 5



Tribes Impact : Legal and Administrative System

Dr. Amulya S. Suman

P. G. Department of pol. Sc, Binod Bihari Mahto Koylanchal University, Dhanbad, India

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 15-21

Article History

Accepted : 01 Jan 2023

Published : 25 Jan 2023

Abstract : There are also other anomalies in the process of scheduling such as instances of increasing the communities within the Scheduled Tribes list in the state without simultaneously reserving electoral constituencies for STs. There is also the concern that some tribes classified under the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) have not yet been notified as Scheduled Tribes, a situation that the NCST has taken up. In recent years, commentators have questioned the established criteria for inclusion as both outdated (since 'isolated existence' does not hold true for most communities today, even those living in remote forest areas) and derogatory to tribal groups (the idea of 'primitivism' is insulting to tribal culture and identity). Issues pertaining to scheduling criteria and anomalies have been examined in a report submitted by the Task Force set up on February 3, 2014 under the Chairmanship of Dr. Hrusikesh Panda, Secretary, Ministry of Tribal Affairs – and so no more need be said here.

Keywords : Tribes, Impact, Legal, Administrative, System, NCST, Particularly

The Indian Constitution, and laws made under it, recognise the special status of tribal communities. While sociologists and social anthropologists have debated the defining characteristics of a tribe, the Constitution recognises that tribal communities need and deserve special protections and that the politico-administrative establishment must act to ensure that such protections are extended to tribal communities. Accordingly, the device of scheduling has been adopted to enable identification of tribal communities and tribal areas that are to come within this dispensation.

It is necessary to examine the early origins of the concept of 'tribe' and its transformation in various historical and political contexts, specifically during the colonial period in the Indian sub-continent. In the Roman context, the term 'tribe' was used to refer to a state of barbarism, but also to indicate a tributary relationship between a group and the imperial State, with who gifts and tributes were exchanged. Tribe, therefore, referred to a particular relationship between centre and periphery, which was equally applicable to the tribal relationship with the Mughal Empire in India. One of the other early meanings of tribe was also that of a group claiming common ancestry. Later, the idea of the tribe as people living in 'primitive' conditions became dominant. The reference to a particular relationship with the State was pushed to the background by an emphasis on the tribe as an autochthonous, homogeneous whole – an independent, self-contained unit.

In India, the local equivalent of the term 'tribe' is often assumed to be '*jana*' or 'communities of people' based on the usage of the term in ancient Buddhist and puranic texts. In this conception, the term *janawas* used in

opposition to the term *jatito* indicate that these communities were outside the *jatior* hierarchical caste system of social organisation. This view, however, was not universally accepted, since other scholars point out that the categories of *jana* and *jatido* not neatly overlap with that of tribe and caste respectively in the present context.

It was largely following the various tribal rebellions during the colonial period that tribes came to be seen as the region's 'original inhabitants' who existed outside of the caste system and had been marginalised by the more advanced caste-Hindu society. The nineteenth-century ethnographic view of tribes argued that the term referred to both a *particular type of society* based on kinship ties and a *stage of evolution*. In the former view, standard definitions describe the tribe as a social group with a definite area, dialect, cultural homogeneity and unifying social organisation. An amalgam of the various traits ascribed to tribal groups include: relative egalitarianism within the group, the absence of complex political structures, strong and functional kinship bonds, cooperation, territorial integrity, cultural and linguistic distinctiveness, and lower levels of technology. In the case of the latter view, tribes are seen as 'primitive' societies in the sense of lacking all the traits of modern, Western society in that they are non-literate, 'uncivilised', non-industrial, rural, and so on.

The two views are connected in that tribes were seen as having primitive social organisation, implying that tribal people were at a lower stage in the evolutionary social hierarchy in terms of their socio-cultural characteristics, economy and political structures, often being described as simple as well as insulated from changes in the larger regional polity. Tribes in the Indian context have also been defined as groups remaining outside of the structures of State and civilisation.

Each definition of tribes stresses on a particular aspect of tribal life – their relationship with the state, civilization and processes of development as well as specific features of their culture, livelihood, and economy. However, the dominant conception of tribe that developed during this period revolved around notions of 'backwardness', indigeneity, and separation from the larger Hindu civilization. Tribes were identified largely in terms of what they were not: they did not practice Vedic Hinduism, they were not Muslim, their societies were marked by the relative absence of economic and ritual stratification, and they were not integrated into the "modern" economy or civilization.

The Census of India has also played a critical role in shaping the modern understanding of tribe through its efforts at enumeration and classification. The proper delineation of tribes began with the colonial census in the late nineteenth century to provide detailed information about the population of the sub-continent. Through this exercise, certain communities were labeled as tribes although the criteria transformed over time. In the 1881 census, the term used was 'forest tribes', a sub-category within the broader group of 'agricultural and pastoral castes'. In the 1901 census, tribes were identified as those who 'practiced animism' thus placing religious practices at the centre. Therefore, those practicing Hinduism were viewed as castes, while those practicing animism were labeled tribes, although this criterion would change in the following decades such that, at present, Scheduled Tribes can practice any religion, including Hinduism and Christianity. In later censuses, additional references to territory were included, producing the label of 'hill and forest tribes' in 1921 and 'primitive tribes' a decade later. The new descriptions laid emphasis on the isolation of tribes within hill and forest areas as well as their 'primitive' way of life. One of the earliest

attempts to create a list of tribes in the sub-continent was during the 1931 census which identified 'primitive tribes'. This was followed by a list of "backward tribes" for the provinces made under the Government of India Act, 1935. In the 1941 census, tribes were identified not in terms of their religion but according to their 'origin', that is, tribes were those who have a 'tribal origin'.

Subsequent ethnographers have contested these conceptualisations, arguing that tribes have constantly been in interaction with other social groups, and that, terms such as 'primitive' and 'backward' are based on the problematic assumption of social evolutionism. Other scholars have argued that the conception of tribe as isolated was based on their emergent marginalisation through unjust forest policies, forced sedentarization and pacification during British colonial rule. Large segments of the tribal population were integrated into the market economy during this period through the appropriation of their lands as well as their labour in commercial forestry, mines and plantations.

In the post-colonial period, therefore, certain anthropologists have tended to view the 'tribe' as a colonial construction, rendering fixed and rigid those identities which were earlier relatively fluid and contextual. Anthropological accounts of tribal communities have largely provided working definitions of tribe which have often been specific to their site of study given that tribes differ considerably in terms of their population size, mode of livelihood and level of integration within the capitalist economy. There is huge differentiation, for example, in the range of occupations practiced among tribes – they may be: hunters and gatherers, shifting cultivators, settled agriculturalists, pastoralists, artisans, farm labourers, and plantation and industrial workers.

The 1950 Constitutional Amendment order with the full list of Scheduled Tribes recognised at the time was largely based on the list of "backward tribes" prepared by the colonial administration in 1936. At the time of the first census of independent India in 1951, there were 212 recognised Scheduled Tribes in the country. The term Scheduled Tribe itself is a politico-administrative category that does not capture the enormous social complexity of the various tribes encompassed within its fold. The Constitution of India categorised certain sections of the population as Scheduled Tribes to make available special welfare provisions to them – even though this category was never properly defined. In a circular fashion, tribes are defined as those groups enumerated as tribes under the Indian Constitution. Thus, Article 366(25) of the Constitution defines Scheduled Tribes as follows:

"Scheduled Tribes means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution."

The list of tribes drawn up by the colonial and post-colonial government was based on political and administrative considerations, given that State recognition could be translated into important protective and developmental benefits. However, the identification of such groups has been based on recommendations made by the officials of the 1931 Census, the First Backward Classes Commission 1955, and the Report of the Advisory Committee on the Revision of the Lists of Scheduled Castes and Tribes, 1965. The currently followed criteria for identification are: primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and general backwardness. As can be seen from several of these identifying features, the idea of the tribe as the 'primitive' has clearly continued into the post-colonial period.

The first Backward Classes Commission (Kaka Kalelkar Commission) appointed by the President of India under Article 340 argued that the tribes:

“Lead a separate exclusive existence and are not fully assimilated in the main body of the people. Scheduled Tribes may belong to any religion. They are listed as Scheduled Tribes, because of the kind of life led by them.”

In 1951, the Tribal Welfare Committee comprising of anthropologists, social workers and administrators met under the Indian Conference of Social Work in Calcutta and recommended these criteria for differentiation of tribes: tribes are those who are still confined to their original forest habitats and follow the old pattern of life; semi-tribal communities are those who have settled down in rural areas and practice agriculture and similar occupations; acculturated tribal communities are those who have migrated to urban and semi-urban areas and are working in industries and have modern cultural traits, and other tribal communities who have been totally assimilated into the Indian population. However, there are many forest-dwellers who are not tribals; settled agriculture is practiced by many tribes (who are not semi-tribal in other respects) and migration to urban areas does not necessarily lead to the shedding of all tribal cultural traits.

In 1959, the Government of India appointed a Commission headed by Shri. U.N. Dhebar to look into the welfare of the Scheduled Tribes and even this commission failed to arrive at a satisfactory definition. The Commission concluded that Scheduled Tribes can be identified by the fact that they live apart in the hills, and even where they live on the plains, they lead a separate, excluded existence and are not fully assimilated with the rest of society. As per its recommendations, it reiterates the position that the technical definition of a tribe is any group listed as a Scheduled Tribe under Article 342.

The granting of ST status to certain social groups is an on-going process, indicating that there are groups which might identify themselves as tribes but which remain outside of the official ST category. The First Backward Classes Commission set up by the President of India in 1953, recommended the declaration of additional communities as Scheduled. Thus, through another order in 1956, the President notified a modification of the list of Scheduled Tribes. In the 1961 census, the number of Scheduled Tribe communities increased to 427, which was twice the number from the previous census. This increased to 432 by the time of the 1971 census.

As the issue of anomalies within the ST list constantly arose, the government set up the Advisory Committee on the Revision of the Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Lokur Committee Report) which was to advise on the proposals received by the government on revision of these lists in a “rational and scientific manner”. The committee was specifically asked for its recommendations on whether communities listed as Scheduled Tribes in one area of a particular State or Union Territory (UT) should be recognised in other parts of the same State or UT as well as in other States.

A glance at the lists of tribes recommended for both inclusion and exclusion by the Lokur Committee throws further light on their considerations while determining the legal status of groups claiming tribal identity. Some of the reasons cited for inclusion of new tribes within the list include ‘very isolated’, ‘still living in caves’, ‘living in forest areas’, or more vaguely, ‘are primitive jungle tribes’, ‘having tribal characteristics’, ‘very backward tribe’, and ‘distinctive dress and customs’. Clearly, a mixture of geographical and locational features as well as primitiveness and backwardness account for the suggested Constitutional recognition of a

range of tribes. On the other hand, the explanations for suggested exclusion from the list were 'not a tribe', 'do not possess tribal characteristics', 'population insignificant' and 'assimilated with the general population'. On the question of enumeration, the Lokur Committee noted that in light of several Supreme Court rulings on the matter, it would be necessary for the government to list not simply the name of each tribe under the Schedule but to create a compendium of all local synonyms, phonetic variations and sub-tribes within each tribe in order to ensure that confusions over inclusion are avoided. The committee held that, in light of this onerous task, it should henceforth be assumed that any caste or tribe specified in the list would automatically include all synonyms, variations and sub-groups.

The Scheduled Tribes and Scheduled Areas Commission (Bhuria Commission) Report (2002-2004) has pointed out that winds of change have been sweeping through tribal society and this has resulted in the growth of individualism, particularly among the youth. However, despite transformations in the internal communitarian dynamics of tribal society which threaten to alter its very 'tribal-ness' the Commission noted that tribal identity is likely to reassert itself in the form of traditional norms and mores.

The Bhuria Commission Report further stated that:

"As an individual, individualism may be practised by a tribal when he is at large and may be abroad, but even in facing the larger world his psyche looks backwards to lean on the support of his own tribal community, thereby revealing the profundity of bonds with his tribe".

Beyond definitions of 'tribes', the Indian context has produced a situation in which classification of communities as Scheduled Tribes is not uniform throughout the country but varies based on often arbitrary administrative boundaries. Several committees have taken note of this anomalous situation, introduced through the Government of India Act, 1935, whereby members of the same tribe from an ethnological or social point of view are recognised as Scheduled Tribes in one State or one part of a State and not in others. That is, the category of Scheduled Tribes, although distinct, was connected to an understanding of 'tribal areas' in that, until 1976, area restrictions were in operation with regard to recognition as a Scheduled Tribe. This meant that it was possible for X tribe to be recognised in district Y of a particular State but not in neighbouring district Z of the same State. Thus, ST status was linked to place, although the place itself need not be a Scheduled Area.

According to the Lokur Committee, these territorial restrictions acted as a barrier to spatial and social mobility, since moving out of the area in which their tribe is recognised would imply the loss of all benefits and privileges. Such restrictions were therefore, seen to be contrary to the goal of tribal integration which advocates the end to tribal 'isolation' and the inter-mingling of populations. Despite recognition of the often bizarre consequences of area restrictions, the Lokur Committee refrained from recommending changes in the same since inter-state movement of tribes was deemed to be negligible at the time. Their report also dismissed the idea of an all-India Scheduled Tribes list, since the Constitution provides for lists to be made only at the State or UT level. The Lokur Committee recommended that the various tribes in the list should be administratively differentiated, so as to ensure that priority in development planning should be given to the more deprived, among the groups.

In 1976, the Removal of Area Restrictions (Amendment) Act was passed, which removed area restrictions on the recognition of Scheduled Tribes, making lists applicable to entire States rather than blocks and districts

within States as was the case earlier. This led to a substantial increase in the tribal population as recorded in the census. Now, a tribe is included within the Scheduled Tribe list on a state-wide basis – although it is possible that the same tribe is not Scheduled Tribe in other states. However, it has been noted that the sharp increase in recorded tribal population between the 1971 and 1981 censuses was not only due to the removal of area restrictions but due to misreporting to census officials by groups with nomenclatures sounding similar to that of certain Scheduled Tribes. Between 1971 and 1981, the population of Scheduled Tribes, as recorded in the Census, rose by 95 per cent in Maharashtra and 690 per cent in Karnataka. This occurred despite the fact that reporting oneself as a Scheduled Tribe in the census does not in any way support claims for Scheduled Tribe status under the Constitution.

Despite efforts made by various governments, there continue to be several anomalies in the scheduling of tribes. The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has noted that cases involving inclusion of communities which are scheduled in one state and non-scheduled in a neighbouring state need to be given priority in order that members are not denied benefits any further. The Banjaras, for example, are a recognised Scheduled Tribe settling in various parts of the country, including now in Delhi. However, the strong association between the idea of a tribe and that of rurality has led to the refusal of the Government of Delhi to list them as a Scheduled Tribe in the capital city – rather, they are included within the list of Scheduled Castes. Another curious distinction in the state of Assam is that between plains tribals and hill tribals, so the Garos, Karbis, Hajongs, Dimasas, Mon-Tai speaking peoples, Singphos, Hmars, Nagas, hill tribals, lose their scheduled status once they come down to the plains and the Bodos, Lalungs, Mech-Kacharis, all plains tribals, lose their scheduled status if they go to the hills.

There are also other anomalies in the process of scheduling such as instances of increasing the communities within the Scheduled Tribes list in the state without simultaneously reserving electoral constituencies for STs. There is also the concern that some tribes classified under the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) have not yet been notified as Scheduled Tribes, a situation that the NCST has taken up. In recent years, commentators have questioned the established criteria for inclusion as both outdated (since ‘isolated existence’ does not hold true for most communities today, even those living in remote forest areas) and derogatory to tribal groups (the idea of ‘primitivism’ is insulting to tribal culture and identity). Issues pertaining to scheduling criteria and anomalies have been examined in a report submitted by the Task Force set up on February 3, 2014 under the Chairmanship of Dr. Hrusikesh Panda, Secretary, Ministry of Tribal Affairs – and so no more need be said here.

References

1. Particularly, Part X of the Constitution under which Schedules V & VI were incorporated into the Constitution to provide for particular responsibilities of the state with respect to administration of areas inhabited by the tribal populations; apart from a variety of enabling provisions for the betterment of individuals belonging to tribal communities.
2. ‘Preamble’ to the Constitution of India (as on 01 January 2001), New Delhi: Lok Sabha Secretariat, n.d., Article 366 Constitution of India, Ibid., Articles 29 (1) & (2).

3. Siddiqur Rahman Osmani, 'An Essay on the Human Rights Approach to Development' in Arjun Sengupta, et al, eds., Reflections on Right to Development, New Delhi, 2005, p.110.
4. Declaration on the Right to Development, adopted by General Assembly resolution 41/128 of 4 December 1986, Article 1.
5. Arjun Sengupta, 'The Right to Development as a Human Right', Paper written for the François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard School of Public Health, 1999, pp. 9. Siddiqur Rahman Osmani, Op. Cit., p.112.
6. Rajiv Malhotra, 'Right to Development: Where Are We Today' in Arjun Sengupta, et al, (eds.), Reflections on Right to Development, New Delhi, 2005, p.145.
7. Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) adopted by the General Conference of the International Labour Organisation on 26 June 1957, Article 2.
8. India's hesitation in ratifying this Convention is mainly due to the explicit mention of the right to self-determination. India, faced as it is with a variety of violent and non-violent identity movements in the North-east part of the country and Kashmir, is loathe to accept this principle fearing balkanisation of the country on tribal lines.
9. Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) adopted On 27 June 1989 by the General Conference of the International Labour Organisation, Article 2.
10. Sengupta, 'The Right to Development', Op. cit., p. 10. Will Kymlicka, "Nation-building and Minority Rights: Comparing West and East" in Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 26, no. 2, April 2000, p. 183.
11. Stephen May, Tariq Modood & Judith Squires, 'Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights: Charting the Disciplinary Debates' in Stephen May, Tariq Modood & Judith Squires, eds., Ethnicity, Nationalism and Minority Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p.4.
12. Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press, 1995 as discussed in Ibid., p. 4. This has had a significant impact on the conception of liberal state as well as liberal-democratic politics.

मुंडाओं के देश में "गीत और संगीत"—वर्तमान परिदृश्य

सोमनाथ पुरती

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 22-24

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश— "चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है"। यह प्रचलित कथन जनजातिय बहुल राज्य झारखण्ड के मुंडा जनजाति की पहचान है। वास्तव में यह मुंडारी भाषा के "सेन गे सुसुम, कजिगेदुरंग" का हिन्दी रूपांतरण है। यह कहावत जनजाति अध्ययन के शोधार्थियों को अनायास ही आकर्षित करता है। मैं भी एक शोधार्थी हूँ और मुंडा जनजाति के सम्बन्ध रखने के कारण इसके अध्ययन हेतु मैं स्वप्रेरित हुआ। इस शोध-पत्र में इसी प्रचलित कथन का मुंडा जनजाति के सर्दभ में गहन छानबीन वर्तमान परिदृश्य में किया गया है। मूलतः, यह अध्ययन खूँटी जिले के मुरहू प्रखंड में ऐतिहासिक, आनुभविक और अवलोकन विधि से किया गया है। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि मुख्यतः भौतिकवादी संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव और नक्सलवाद मुंडा जनजाति के गीत-संगीत को भयानक क्षति पहुँचा रहे हैं। इन दोनों कारकों पर नियंत्रण रखकर ही इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द— मुंडा, देश, गोत, संगीत, जनजातिय, झारखण्ड, मुंडारी, भाषा।

परिचय — मुंडा जनजाति झारखण्ड की एक प्रमुख जनजाति है। इसकी भाषा "मुंडारी" है। यह जनजाति संगीत प्रेमी होता है। गीत-संगीत इसकी रग-रग में बसा है। यह इनके जीवन का अभिन्न अंग है, इनके जीने का एक अंदाज है। यह मस्तमौला जनजाति है।

यह मुख्यतः झारखण्ड के राँची, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिले में निवास करती है। इसके अलावे यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी पायी जाती है।

झारखण्ड में एक प्रचलित कथन है — "चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है" — मुंडारी भाषा के "सेन गे सुसुम, कजिगे दुरंग" का हिन्दी रूपांतरण है। इस कथन के बगैर "जनजाति अध्ययन" मुख्यतः मुंडा जनजाति का अध्ययन अधूरा है। इस जनजाति के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उक्त कथन को प्रमुखतः से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे यह कथन समान रूप से अन्य जनजातियों यथा — उराँव, संधाल और हो इत्यादि पर भी लागू होता है।

चूँकि प्राचीन झारखण्ड में मुण्डा जनजाति का शासन सदियों तक रहा है, इस कारण मुण्डा जनजाति के इस प्रचलित कथन का अन्य जनजातियों पर भी व्यापक असर हुआ है।

यह कथन स्पष्टतः मुण्डा जनजाति के जीवन पद्धति में गीत-संगीत के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन क्या वर्तमान परिदृश्य में यह कथन व्यवहार में भी बरकरार है या केवल किताबी-कागजों की बात रह गई है? प्रस्तुत शोध-पत्र में इसी की खोज की गई है। चूँकि यह एक "एकल अध्ययन" है तो अपनी प्रकृति के कारण इसकी परिणाम के सामान्यीकरण की अपनी सीमाएं हैं।

शोध-विधियाँ :- शोध के शीर्षक से संगतता के मद्देनजर ऐतिहासिक विधि अपनाया गया है। साथ ही आनुभाविक विधि इस शोध अध्ययन को गहनता प्रदान करता है।

पूर्ण सहभागी अवलोकन विधि का सहारा लिया गया है।

साक्षात्कार विधि से भी इस अध्ययन को मदद मिला है। सभी आंकड़े "प्राथमिक आंकड़े" हैं।

परिणाम – प्रचलित कथन "चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है" के वर्तमान परिदृश्य का पता लगाने के लिए उपर वर्णित विधियों का सहारा लिया गया है।

प्राचीन काल से ही मुण्डा जनजाति के जीवन में "गीत-संगीत" रचा-बसा हुआ है। यह कथन उतना ही प्राचीन है जितना मुण्डा जनजाति।

पर्व-त्योहारों के अवसर पर "अखड़ा" (पारंपरिक नृत्य स्थल) में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, पुरुष-महिला जिनमें नाचने-गाने वाले और दर्शक- सभी से खचाखच भरा रहता था। जहाँ प्रत्येक पर्व-त्योहार के अवसर पर नाच-गान सप्ताह भर चलता रहता था। आज महज एक घंटे में औपचारिकता भर पूरी करने के लिए किया जाता है। कोई उमंग नहीं कोई जोश नहीं। सभी के मन में अनजाना भय समाया हुआ है – नक्सली का भय। इसलिए पहले जहाँ पूरी रात और दिन भर अनवरत सप्ताह भर चलता रहता था, वहाँ आज महज एक-दो घंटे में समाप्त कर दिया जाता है, वह भी शाम ढलने से पहले। इसके बाद अपने-अपने घरों में लोग दुबक जाते हैं, घरों के अंदर भी कोई गीत-नृत्य और शोर-शराबा नहीं होता है। इस इलाके में नक्सली के द्वारा आए दिन हत्याएँ की जा रही हैं। कब, कौन इसका शिकार हो जाए, इसका भय है। उस कारण लोग चुपचाप छुपकर रहने को मजबूर हैं।

पारंपरिक मेलों और "छऊ-नृत्य" में भी युवक-युवतियाँ भरे जंगल के रास्तों से रात में भी बेखौफ गीत-गाते कार्यक्रम स्थल तक पहुँचते थे। आज कार्यक्रम स्थलों पर गीत (ऑडियो) पर प्रतिबंध है – मुख्यतः "छऊ-नृत्य" स्थलों पर। कारण वही नक्सली का फरमान। हालाँकि इसमें एक बात और है कि "छऊ-नृत्य" के दर्शकों द्वारा कार्यक्रम स्थल और राहों में कुछ अश्लील गीत गाये जाते थे, जिसपर कुछ ग्रामीणों के द्वारा रोक लगा दिया गया है।

कृषि कार्य और मवेशी चराते युवक-युवतियाँ जहाँ गीत गाया करते थे, यह परंपरा अब कहीं नहीं दिखता है।

मुण्डा जनजाति केवल पर्व-त्योहारों के अवसर पर गीत-नृत्य करने वाली जनजाति नहीं है। इसके हर कदम, हर बोली में गीत और संगीत है। मगर आज यह लुप्तप्राय है।

दूसरी ओर इस "संचार-क्रांति" के युग में युवक-युवतियाँ, यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से गीत-नृत्य को प्रसारित प्रचारित कर रहे हैं। मगर इनका मकसद पूर्णतः व्यावसायिक है। और इस कारण "मूल-ढाँचा" को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। युवक-युवतियाँ "यू-ट्यूब चैनल" के माध्यम से अपना शाक पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी शूटिंग दिन के समय होती है जब नक्सली खौफ कम रहता है।

यह जाहिर है कि "गीत-नृत्य" का पथ भटका दिया गया है। पहले पर्व-त्योहार के अवसर पर प्रवासी श्रमिक अपने-अपने गाँव आते थे और "अखड़ा" में रंग जमाते थे। पर अब यह इतिहास की बात हो गई है।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः, "गीत-संगीत" मुण्डा जनजाति की अमूल्य धरोहर है। इसे संरक्षित करना सरकार और बुद्धिजीवियों की जिम्मेवारी है। प्रशासन को संवेदनशील होने की जरूरत है। भय के वातावरण में कोई भी कला-संस्कृति कभी पुष्पित-पल्लवित नहीं हो सकता।

संदर्भ सूची (एम एल ए शैली)

1.राय, शरत चन्द्र. द मुंडाज एण्ड देयर कंट्री. तृतीय. राँची, 2004.इंगलिश.

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : झारखंड के विशेष सन्दर्भ में

कविता सिन्हा

शोधार्थी, पी.के.रॉय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 25-27

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश – राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कदम से न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बन रही हैं। उनमें निर्णय लेने की क्षमताओं में भी वृद्धि हो रही है। उनका यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में प्रभावशाली बनाए जा रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तभी अच्छी होगी जब महिला और पुरुष के बीच समानता का स्तर हो। महिलाओं को स्वयं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

मुख्यशब्द – महिला, सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सहभागिता।

20वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है 'महिला सशक्तिकरण'। सशक्तिकरण एक बहुआयामी धारणा है। इसका संबंध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति निहित है। अर्थात् समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामर्थ्य है। महिला सशक्तिकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है।

मेरी बुलस्टोन क्राफ्ट ने सन 1792 में 'विंडिकेशन ऑफ दि राइट्स ऑफ वीमन' पुस्तक लिखी जिसमें नारी के संबंध में सभी परंपरागत धारणाओं का खंडन करते हुए उसे पुरुष के समकक्ष बतलाया। सन 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'दि सब्जेक्शन ऑफ वीमन' में जे. एस. मिल ने अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया।

1960 और 1970 के दशकों से महिलाओं से संबंधित समस्याओं के परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसी गोष्ठियों और सम्मेलनों से भारत के संविधान में प्रदत्त स्त्री-पुरुष समानता के बारे में भी प्रचार हुआ है।

भारत में महिलाओं की आबादी 48.04% है फिर भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम है जो कि एक चिंतनीय विषय है। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 8049 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 724 थी। जिसमें रिकार्ड 78 महिलाएं चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची। भारतीय राजनीति में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसमें कुछ महिलाओं का नाम इस प्रकार है- इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटील, ममता बनर्जी, मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, जयललिता, निर्मला सीतारमन, मीरा कुमार आदि।

महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान में 73वां तथा 74 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन का परिणाम है

कि पंचायतों में विभिन्न पदों पर 163000 महिलाएं सरपंच पद पर सत्ता में आईं। पुरुष प्रधान समाज में लंबे समय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्हीं के निर्देशों पर चलाने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिए पंचायतों व स्थानीय निकायों में अपने लिए आरक्षित पदों के माध्यम से निर्वाचित होना एक सुखद आश्चर्य है। पंचायतों के लिए चयनित महिलाएं गाँव के समाज प्रतिनिधि के रूप में और भी अधिक सहायक सिद्ध हुई हैं।

झारखंड भारत का 28वां राज्य है, इसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद हुआ। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें, 14 लोकसभा और 6 राज्य सभा सीटें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी 3,29,66,238 है जिनमें महिलाओं का हिस्सा 48.68% है, फिर भी झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारिता पुरुषों की तुलना में काफी कम है। झारखंड विधानसभा में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है -

वर्ष	निर्वाचित महिलाएं	निर्वाचित पुरुष
2009	08	73
2014	09	72
2019	10	71

पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। झारखंड में आरक्षण के कारण पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारिता बढ़ी है जो इस प्रकार है-

मुखिया	2360
पंचायत समिति सदस्य	2444
जिला परिषद	246
वार्ड सदस्य	25698

ऊपर के डाटा को देखते हुए हम जरूर कह सकते हैं कि झारखंड में महिलाएं धीरे-धीरे राजनीति में रुचि लेती साफ नजर आ रही हैं। वर्तमान में गीताश्री उराँव, डॉ. नीरा यादव, अन्नपूर्णा देवी, गीता कोड़ा, निर्मला देवी, अम्बा प्रसाद, अर्पणा सेन गुप्ता, पूर्णिमा सिंह, रागिनी सिंह, सिनड्रेला आदि राजनीति में काफी सक्रिय हैं साथ ही साथ समाज और महिला का विकास का कार्य कर रही हैं।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारिता तो जरूर बढ़ी है फिर भी कई ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उनकी जगह घर के पुरुष का वर्चस्व होता है, कई निर्णय उन महिलाओं की जगह उनके पति या फिर पुत्र लेते हैं और वो मात्र एक रबर स्टाम्प की भूमिका में दिखाई देती हैं।

राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कदम से न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बन रही हैं। उनमें निर्णय लेने की क्षमताओं में भी वृद्धि हो रही है। उनका यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में प्रभावशाली बनाए जा रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तभी अच्छी होगी जब महिला और पुरुष के बीच समानता का स्तर हो। महिलाओं को स्वयं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

सन्दर्भ

1. फाड़िया, डॉ. बी. एल. - पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत,(2008), साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृष्ठ संख्या-134
2. सिन्हा, अनुज कुमार - शोषण, संघर्ष और शहादत, (2013), प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 383-384
3. कुमार, मुकेश- “महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन: झारखंड के सन्दर्भ में”, जर्नल ऑफ एडवांसेज एण्ड स्कालरली रिसर्च इन अलाइड एजुकेशन(अंक -2), (2019), पृष्ठ संख्या 998-1003
4. दीवान, डॉ. रेणु - “झारखंड की महिलाएं; 2” (2004), बिहार ग्रंथ अकादमी, पटना, पृष्ठ संख्या- 76
5. मिश्रा, निमिषा- “समाज में महिलाओं की स्थिति” (2009), प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या -4-8

महिला शिक्षा विकास : डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योग्यदान

रमेश कुमार भट्ट

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान संकाय, के० एस० जी० एम० कॉलेज निरसा, धनबाद।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 28-31

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश— आज के समय महिलाओं के शिक्षा को लेकर समाज में जो बंराईयां थी ओ धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। अतः फिर भी आज समाज में महिलाओं के शिक्षा को ले कर कुछ लोगों के मन में गलत धारणाएं बैठी हैं आज हमारी लड़किया शिक्षा को लेकर काफी प्रत्यनशील हो चुकी हैं। जो हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर रही हैं। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में महिलाओं के दबा कर रखने के बाउजुद भी वे अपनी मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भारत में महिला शिक्षा के विकास को प्रतिबंधित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक हैं। अगर हम सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हे पहचानने और उन्हे खत्म करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द— महिला, शिक्षा, भारत, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विकास, समाज।

भारत में महिला शिक्षा विकास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेद काल में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा के अवसर प्राप्त थे। एक आकलन के अनुसार वेद की रचनाओं में से 60 प्रतिशत मंत्रों की रचना महिला ऋषियों द्वारा की गई हैं।

देश और समाज में प्रेम सद्भाव और सामंजस्य की स्थापना के लिए डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन महिलाओं को यथोचित सम्मान देने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि यदि समाज में महिला और पुरुष के बीच भेद भाव की लकीर खींची होगी तो महिला शिक्षा विकास की कल्पना संभव ही नहीं है। उनके अनुसार आदिकाल से हिन्दुस्तान में महिला को भोग के बजाय सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। यही कारण था कि देश और समाज प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था। धर्मशास्त्रों और विभिन्न ग्रंथों में महिला को पूजा और उपासना के योग्य समझा जाता था। उन्हे शिक्षा –दीक्षा आदि प्रदान करके बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता था। तभी देश और समाज एक प्रगतिशील राह की ओर चल रहा था।

सन् 1953 ई० में सर्वपल्ली राधाकृष्णन शारदा देवी स्मारक ग्रंथ की रचना में भारतीय महिला की अवस्था का स्पष्ट चित्रण करते हुए प्रस्तुत किया है— भारतीय परंपरा में महिलाओं को प्रायः सम्मान की दृष्टि से देखा गया है पर कभी-कभी उनके लिए असम्मानसूचक वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। ईश्वर को यहाँ

अर्धनारीश्वर कहा गया है अर्थात् आधा पुरुष और आधा स्त्री माना गया है। मनु ने कहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां ईश्वर प्रसन्न होते हैं और जहां स्त्री का अनादर होता है, वहां सारे कार्य असफल होते हैं।

उनका कहना है कि शिक्षा विकास का जो कार्य मर्दों को है वही औरतों को भी है। बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अवसर देने में जैसे हम पुरुष पर ध्यान नहीं देते उसी प्रकार महिला पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे नर होने का हमारे लिंग-संबंधी भेदों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व है। सभी मानवों के अन्दर उनका लिंग चाहे जो भी हो पार्थिक और आत्मतत्व का ससीम और असीम का वही नाटक चलता है।

ऐसे जो काम नर करते हैं वह काम महिला नहीं करती। इस तरह दोनों के आकृति में अन्तर आ जाता है, पर यह सही नहीं है कि वह कर नहीं सकती और हम उनहे हीन समझें।

300ई पूर्व से ही महिलाओं के शिक्षा को पुरुषों के समान शिक्षा देना हर माता-पिता का कर्तव्य माना जाता था। उन्होंने कहा है कि कन्या के पालन पोषण और शिक्षा में बड़ा प्रयत्न और सावधानी से करनी होगी। हमारे इतिहास के कुछ युगों में नारी – शिक्षा दुर्भाग्य से उपेक्षित रही जिससे महिलाएं निरक्षर और अंधविश्वासी बनती गईं।

स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता को पत्र में लिखा कि भारत की कर्मभूमि में तुम्हारे लिए बड़ा उज्ज्वल भविष्य है आज यहाँ जरूरत है एक महिला की पुरुष की नहीं, जो भारतीयों खासतौर से महिलाओं के लिए काम करने में सचमुच एक सिंहनी हो। उन्होंने कहा अभी भारत महान नारियों को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। उसे महान नारियों को अन्य देशों से उधार लेना होगा। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य यह था कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय महिलाओं की अवस्था बहुत निम्न हो गई है। कई दिनों से हम यह भूल गये हैं कि महिलाएं भी मनुष्य हैं अगर मौका मिले तो वह भी बड़े बड़े काम सफलतापूर्वक करने में पिछे नहीं होगी। अतः हमारा समाज महिलाओं की प्रतिभा को अनदेखा करते आया है।

महिला शिक्षा विकास में जागृति :- आज कल जो महिलाओं में जागृति दिख रही है उसका श्रेय रामकृष्ण आंदोलन को तथा महात्मा गाँधी के परिश्रम को जाता है। रामकृष्ण का नारियों के प्रति कितना भान था, इसका पता शारदा देवी और अन्य महिलाओं के साथ उनके व्यवहार से चलता है। गाँधी जी ने कई नारियों को देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के युद्ध में लगाया। इससे भारतीय महिलाओं की मुक्ति का बोल मिला। हमारे भारत देश के पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई थी जो कभी हार नहीं मानी उनकी मदद से कई लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की। वे अंतिम सांस तक महिलाओं के शिक्षा विकास को लेकर संघर्षरत रही। आजादी के बाद हमारे देश में महिलाओं के शिक्षा दर काफी कम था। 1958 में भारत सरकार ने महिला

शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, इस का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के सामानांतर पहुँचाया जायें।

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहे उनका विचार था कि आदर्श महिला प्रेम की प्रतिक हैं जो हमें खीचकर उच्चमत स्थिति की ओर ले जाता हैं हमें नारी को केवल आनन्द का साधन नहीं समझना चाहिए। यह सच है कि वह नारी हैं वह सहायता करनेवाली भी हैं। परन्तु सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वह एक मानव प्राणी हैं। उसके साथ पवित्रता और रहस्य जुड़ा हुआ हैं। यदि हम उसे केवल गृहिणी या माता बना देते हैं और उसका स्तर घटाकर उसे सामान्य बातों की सेवा में लगा देते हैं, तो उसका सर्वोत्तम अंश अभिव्यक्त नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक महिला को अपनी आवेश की आग को, आत्मा के उत्तारण को और मन की ज्वाला को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए।

महिला शिक्षा विकास का महत्व :

1. जिस प्रकार जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती हैं उसी प्रकार किसी देश को अगर विकसित करना हैं तो सबसे पहले वहां की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी हैं।
 2. अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे जिसके कारण वे समाज में क्षेत्र में आगे होंगे।
 3. महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो समाज का सामाजिक स्तर सुधरेगा क्योंकि एक बच्चे की पहली गुरु महिला ही होती हैं अगर वही से बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे समाज का सामाजिक स्तर स्वतः ही अच्छा हो जाएगा।
 4. शिक्षित महिला होने से देश का आर्थिक विकास होगा साथ ही परिवार का रहन-सहन भी अच्छा होगा।
- उद्देश्य :- महिला शिक्षा परिवार में विनम्रता और सहनशीलता प्रदान करती हैं बल्कि समाज और देश में सामाजिक और आर्थिक मजबूती को सही दिशा देती हैं। सरकार को महिलाओं के विकास के लिए बेहतर विद्यालय और विश्वविद्यालयों का निर्माण करना चाहिए ताकि महिला शिक्षा को मजबूती मिल सकें।

1. जीवकोपार्जन हेतु व्यावसायिक शिक्षा देना:
2. सामाजिक व सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना:
3. महिलाओं को सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास:

समस्या :

1. गाँवों में महिला शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।
2. महिलाओं के पाठ्यक्रम को उनकी मूल आवश्यकताओं और रुचि के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए।

3. केन्द्र सरकार को देश की प्रमुख समस्याओं में महिला शिक्षा को प्रमुख स्थान देना चाहिए।

समाधान :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा के प्रचार प्रसार कर उन्हें जागरूप करना होगा और हर गाँवों में बालिका विद्यालयों की स्थापना पर जोर देना होगा।
2. महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिए मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. महिलाओं में शिक्षा विस्तार करने के लिए संगीत, हस्तशिल्प, गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई आदि विषयों को ध्यान में रख कर जागरूप करना होगा।

निष्कर्ष : आज के समय महिलाओं के शिक्षा को लेकर समाज में जो बंराईयां थी ओ धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। अतः फिर भी आज समाज में महिलाओं के शिक्षा को ले कर कुछ लोगों के मन में गलत धारणाएं बैठी हैं आज हमारी लड़किया शिक्षा को लेकर काफी प्रत्यनशील हो चुकी हैं। जो हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर रही हैं। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में महिलाओं के दबा कर रखने के बाउजुद भी वे अपनी मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भारत में महिला शिक्षा के विकास को प्रतिबंधित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक हैं। अगर हम सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हें पहचानने और उन्हें खत्म करने की आवश्यकता है।

संदभ सूची :

1. जे0 से0 अग्रवाल, भारत में नारी शिक्षा – 2009
2. एम0 आई0 राजस्वी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन – 2019
3. डॉ एस0 गोपाल, रचनात्मक जीवन – 1979
4. अशोक कुमार वर्मा, प्रारम्भिक समाज – 1999

सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक बिनोद बिहारी महतो : एक विवेचन

नागेश्वर प्रजापति

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखण्ड)

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 32-36

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश : यह शोध आलेख मुख्य रूप से बिनोद बिहारी महतो के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों में अवदान पर केन्द्रित है। चूंकि झारखण्ड आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में वे एक थे इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनके राजनीतिक जीवन का भी उल्लेख इस शोध आलेख में हुआ है। इसमें इस तथ्य की पड़ताल की गई है कि अलग झारखण्ड की मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ वह सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित नहीं था बल्कि उसके पीछे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक अस्मिता एवं सामाजिक विशिष्टता को बचाए रखने के उद्देश्य को लेकर भी यह आंदोलन हुआ था। बिनोद बिहारी महतो इस सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता के संघर्ष के प्रमुख सूत्रधार और सिद्धांतकार थे। इस शोध आलेख में इन्हीं बिन्दुओं पर विचार किया गया है।

बीज शब्द : आंदोलन, अस्तित्व, जनजाति, प्रखर, ऐतिहासिक, लोकप्रियता, सांस्कृतिक, योगदान।

झारखंड आंदोलन आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक रूप से अलग राज्य का आंदोलन मात्र नहीं था बल्कि यह जनता के, यहाँ के सदियों से उपेक्षित, समाज की मुख्य धारा, सभ्य समाज के लिए अजूबा समझे जाने वाले आदिवासियों की आकांक्षाओं, जंगल और जमीन से जुड़े लोगों के जीवन संघर्ष, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद करने वाली भोली-भाली, कथित रूप से सभ्य कहे जाने वाले समाज की नजर में मानवेतर रूप में देखी जाने वाली जनजातियों की अस्मिता के लिए आंदोलन था। विकास की आकांक्षा के लिए अलग राज्य की मांग के आंदोलन और भी हुए हैं, मगर यह देश का पहला अलग राज्य का आंदोलन था जिसका स्वरूप सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक भी था।

मगर यहां एक बात साफ करने की जरूरत है कि जब हम झारखंड आंदोलन को अस्मिता का आंदोलन कहते हैं तो इसके दायरे में सिर्फ जनजातीय समुदाय के लोग नहीं आते हैं बल्कि वे गैर जनजातियां भी आती हैं जिनका झारखंड से भावनात्मक रुझान उतना ही प्रखर रहा है जितना जनजातियों का। यही नहीं, झारखंडी संस्कृति और भौगोलिक परिवेश की बात है तो झारखंड के बाहर भी यह संस्कृति विद्यमान रही है। एक उद्धरण प्रस्तुत है—

"..... चार राज्यों में विभाजित यह पठारी क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय प्रभुत्व की एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण कर चुका है। समान भौतिक परिवेश, ऐतिहासिक विरासत और सदियों की

सहयात्रा से यह क्षेत्रीय संस्कृति विकसित हुई है जो झारखंड क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के बाहर की मैदानी संस्कृति से अलग है। प्रथमतः यह जनजातीय मूल की संस्कृति है जिसे सदानी जातियों ने भी प्रभावित और स्वीकृत किया है।¹

यह बात और है कि इस आंदोलन में उनकी भी उतनी ही बराबर की भूमिका रही है जो भले ही जनजातियों की सूची में नहीं हैं मगर झारखंड की जमीन और जंगल, नदियों-पहाड़ों से उनका भी उतना ही जुड़ाव रहा है। ऐसी कई झारखंडी जातियां और उनके बीच से उभर कर आये नेता हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं में लोकप्रियता के शिखर पर माने जाने वाले नेता, समाज-चिंतक एवं सुधारक तथा शिक्षा का प्रसार करने वाले स्व० बिनोद बिहारी महतो हैं जिनका मूल्यांकन उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए था। इस लेख में हम उनके वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे।

आम तौर पर माना जाता है कि झारखंड आंदोलन के मुख्य कारण राजनीतिक थे। अर्थात् यह माना जाता रहा है कि बिहार के साथ रहने के कारण झारखंड के निवासियों को सत्ता में समुचित भागीदारी नहीं मिल पाती थी, न ही विकास-योजनाओं का समान लाभ यहां के लोगों को मिल पाता था। लेकिन वास्तविक समस्या यही नहीं थी, हालांकि कारणों में ये भी थे। लेकिन सिर्फ ये ही कारण नहीं थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण वह अस्मिता बोध था जो झारखंड के निवासियों को बेचैन करता था। यहां के लोग अपनी मिट्टी, नदी, पहाड़ और जंगलों से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और रीति-रिवाजों के प्रति अति संवेदनशील हैं। उन्हें यह बिल्कुल सहन नहीं होता कि बाहर से आये लोग उनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों को प्रभावित करे। दूसरी ओर स्थिति यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के झारखंड क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही यहां देशी और विदेशी लोगों की आवाजाही शुरू हुई और उनका एकमात्र उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों से भरे इस प्रदेश के जंगल और जमीन के नीचे मौजूद अकूत खनिज की धुंधलाधार लूट। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो बाहरी लोगों को यहां के सदान हों या आदिवासी, हमेशा नापसंद करते रहे और इन्हें शत्रु के रूप में देखते रहे, फिर चाहे वह विदेशी लोग हों या देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले सूदखोर, महाजन, ठेकेदार या माफिया। इन सबने लगातार इस प्रदेश का शोषण ही किया, यहां किसी भी तरह के विकास से इनका कोई लेना-देना नहीं रहा। जिस समय अंग्रेजों का प्रवेश उस समय के छोटानागपुर और आज के झारखंड में हुआ उसके पूर्व तक यहां के आदिवासी और सदान कृषि क्षेत्र में स्वावलंबी थे और ये समृद्ध किसान माने जाते थे। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में विकास के जो कार्यक्रम चलाए उनसे फायदा बाहरी लोगों का ही ज्यादा हुआ, यहां के किसान आर्थिक रूप से बदहाल हो गए। बाजार और व्यावसायिक संस्कृति के उदय ने शोषण को ही बढ़ावा दिया। जिन खेतों में यहाँ के लोग खेती करते थे उनका व्यावसायिक उपयोग होने से कई हिस्सों में खेती पर प्रतिबंध लग गया और यहां की पारंपरिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इस प्रकार यहाँ के सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे और पारंपरिक अर्थव्यवस्था में टूट-फूट उत्पन्न हुई। विद्याभूषण कहते हैं-

“ब्रिटिश शासन से पहले यह क्षेत्र सामन्तों और जमींदारों द्वारा नियंत्रित होता था। मुगल काल के बाद यहाँ के सामन्तों-जमींदारों ने बिहार और उत्तर भारत के लोगों को यहां आकर बसने के लिए बुलाया ताकि बाहरी दुश्मनों और अशांत आदिवासियों से उनकी रक्षा हो सके।”²

यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी महाजनों, टेकेदारों के बीच शुरु से ही एक गठबंधन बना रहा, यही कारण है कि यहां के समाज और संस्कृति में टूट-फूट में इन सबकी समान भूमिका थी। इस लूट करने वाले गिरोह का नेतृत्व कंपनी राज के हाथों में था और इन्होंने झारखंड की संस्कृति और हर किस्म की परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की। आदिवासी समाज की जो समतावादी सामाजिक संरचना थी उसे बर्बाद करने की हर संभव कोशिश थी। पंचायती व्यवस्था, पड़हा, मानकी-मुंडा प्रथा, सबको इन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी के कारण सरदारी आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा आंदोलन और टाना भगत जैसे आंदोलन घटित हुए। इन आंदोलनों के लक्ष्य सिर्फ आर्थिक नहीं थे बल्कि सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़े हुए थे। इस प्रकार झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हुई।

इन्हीं परिस्थितियों में कई आंदोलन घटित हुए जिनकी चर्चा ऊपर की गई। आर्थिक विकास के नाम पर यहां की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली पर हमले किये जा रहे थे और इसकी प्रतिक्रिया भी आदिवासी एवं सदान समाज में हो रही थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच वर्तमान झारखंड के कुड़मी समुदाय में बिनोद बिहारी महतो का जन्म हुआ।

यहाँ थोड़ा ठहर कर कुड़मी समाज की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। कुड़मी समाज आदिवासियों के समान ही झारखंड में अपनी जड़ें रखता है। झारखंड में इस समाज की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। मानभूम जिला को चुनावी राजनीति के अंतर्गत ही दो भागों में बांट दिया गया जिससे झारखण्ड आंदोलन कमजोर पड़ जाय। पुरुलिया समेत पंद्रह थानों को पश्चिम बंगाल में मिलाने का निर्णय लिया गया। इस तरह से बाँटकर कुड़मी समाज की शक्ति कम करने की चाल चली गई। 1957 में लोकसभा चुनाव के समय यह राजनीति सतह पर आ गई क्योंकि यह सवाल सिर्फ कुड़मी समाज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ नहीं था बल्कि पूरे झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1957 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे थे। झारखंड पार्टी भी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई थी हालांकि पुरुलिया अलग होने से इसपर प्रभाव जरूर पड़ा था। लेकिन इसमें झारखंड आंदोलन के लोकप्रिय नेता जयपाल सिंह का राजनीतिक रवैया कुछ ढीला-ढाला था। इसकी तस्दीक तब हुई जब राँची की लोकसभा सीट से झारखंड पार्टी के मीनू मसानी, जो स्वयं मुंबई के बड़े व्यावसायिक घराने से ताल्लुक रखते थे और वास्तव में समाजवादियों से संबद्ध थे, को उम्मीदवार बनाया गया। इसीलिए इनको जयप्रकाश नारायण का भी समर्थन मिला। इसी तर्ज पर जमशेदपुर सीट से एक उद्योगपति डिकोस्टा को उम्मीदवार बनाया गया, हालांकि वे चुनाव हार गए।³

वास्तव में जयपाल सिंह, जो झारखंड आंदोलन के बहुत प्रभावी नेता थे, उन्हें कांग्रेसी नेतृत्व ने झांसा दिया और इसी झांसे में आकर वे इस पार्टी की मूल विचारधारा से भटक गए थे और कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिया।⁴ ये झारखंड पार्टी के बिखराव के दिन थे।

तात्पर्य यह कि झारखंड हर दृष्टिकोण से उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। इसी संक्रमण काल में धनबाद में बिनोद बिहारी महतो का प्रादुर्भाव हुआ। ये एक गरीब परिवार से थे लेकिन पढ़ाई-लिखाई में गहरी रुचि रखने के कारण घोर आर्थिक कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई में जुट गए। किंतु इसमें निरंतरता नहीं थी। गरीबी के कारण मैट्रिक पास करने के बाद ही इनको क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी और आठ साल तक वे इस नौकरी में रहे।

इसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। पहले राँची से कॉलेज की पढ़ाई और फिर पटना से वकालत की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने धनबाद में वकालत शुरू की। यही वह साल था जब मानभूम जिले का विभाजन किया गया था जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छोटानागपुर में अंग्रेजों और उनके पीछे-पीछे आये बाहरी महाजनों, सूदखोरों आदि यहां आए थे और यहां के अशिक्षित, भोले-भाले लोगों का शोषण करते थे, वे खुद को अभिजात और यहां के लोगों को हीन समझते थे। बंगाली समुदाय के लोग भी इसी रूप में यहाँ आए थे और स्वाभाविक रूप से बिनोद बिहारी महतो को उनका सामना करना पड़ा था। उन्होंने कचहरी में देखा था कि उनके समाज के लोग बिना खाये-पीये कचहरी में केस मुकदमे के लिए पड़े रहते थे। उनके वैचारिक निर्माण के प्रसंग में इन बातों का बहुत महत्व है।

बहरहाल अपनी मेधा और सहज स्वभाव के बल पर वे अपने सहकर्मियों के बीच अच्छे से जुड़ गए थे। इन्होंने अपने समय और अपने समाज से जुड़ी हर किस्म की समस्याओं पर गहराई से विचार किया और उनके निदान ढूँढने की कोशिश की। गहन सोच-विचार के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि छोटानागपुर के सदान हों या आदिवासी, समान रूप से शोषण, अत्याचार, आर्थिक बदहाली एवं अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर हमले से गुजर रहे हैं। इसके कारणों पर भी इन्होंने गहराई से विचार किया और पाया कि शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। भोले-भाले आदिवासी हों या सदान, शिक्षा का भारी अभाव इनमें रहा है। इन्होंने इसके लिए बाकायदा अभियान शुरू किया और सफलतापूर्वक यह अभियान चला। इसके लिए इन्होंने कई सामाजिक संगठनों की स्थापना की जिनमें एक उल्लेखनीय संगठन था 'शिवाजी समाज'। इस समाज की स्थापना के माध्यम से इन्होंने शिक्षा का प्रसार शुरू किया और सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। कहने की जरूरत नहीं कि इस स्थिति में आने का कारण था कि बचपन से ही सामाजिक-सांस्कृतिक विसंगतियों को देखकर इनके भीतर गहरी बेचैनी उत्पन्न होती थी। इन्होंने अपने समाज के लोगों में जागरण लाने के लिए उनके मुकदमे लड़े। इस प्रकार अपने समाज के प्रति इन्होंने जो काम किया उनसे इनकी छवि का निर्माण हुआ। अपनी इसी अर्जित छवि के बल पर इन्होंने अपने समाज के लिए एक जननायक के रूप में पहचान बनाई और इसी पहचान के बल पर वे आगे चलकर न सिर्फ अपने समाज में जागरण के वाहक बनकर उभरे बल्कि पूरे झारखंड आंदोलन के अग्रदूत बने।

आंदोलनकारी के रूप में इन्हें उभरने का मौका मिला बोकारो इस्पात कारखाना के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में। जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर लोग इनके पास आते थे। उनके लिए सरकार ने जो मुआवजे तय किये थे, उनकी राशि देखकर बिनोद बाबू को बहुत आश्चर्य होता। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत प्रारंभिक तौर पर यहीं से हो गई थी। यह शुरुआत एक वकील के तौर पर हुई। इन्होंने विस्थापितों के मुआवजे का मुकदमा लड़ना तय किया और इसमें इन्हें अच्छी सफलता मिली। वैसे शुरुआत तो पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। 1952 में इन्होंने प्रथम विधान सभा का चुनाव लड़ा। यह चुनाव झरिया के राजा के खिलाफ लड़ा था और स्वाभाविक था कि उनका जो दबदबा था उसके कारण ये हार गए। राजनीति की दूसरी पारी इनकी शुरू हुई 1962 में। उन दिनों उस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का कोई जनाधार ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था। राजनीतिक दलों के रूप में लोग या तो कांग्रेस को जानते थे या झारखंड पार्टी को। इस दृष्टि से देखा जाय तो इन्होंने शून्य से उस क्षेत्र में कम्युनिस्ट राजनीति की शुरुआत की। चूंकि वकालत के पेशे के कारण क्षेत्र में इनकी पहचान बन गई थी और लोगों के बीच ये काफी हिल-मिल गए थे इसलिए पार्टी की नींव डालने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई।

पार्टी के काम से इन्हें गाँवों वगैरह में आना-जाना पड़ता था इसलिए इन्होंने लोगों के जीवन को करीब से देखा। लोगों की स्थिति भयावह थी। गरीबी तो थी ही, शिक्षा की स्थिति भी दयनीय थी। 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग अनपढ़ थे। शराबखोरी आम बात थी। महाजनों का आतंक ऐसा था कि अधिकतर लोगों की जमीनें गिरवी पड़ी थी। लोग कई कई शादियाँ करते थे। गाँवों के कुड़मी, आदिवासी और दलित सबकी स्थिति एक जैसी थी। कोलियरी के आस-पास के लोगों की हालत और अधिक खराब थी। गुंडों का आतंक था। ठेकेदार, महाजन, शराब माफिया सब मिलकर इनका शोषण करते थे। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएँ चरम पर थी। कुल मिलाकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लोग एकदम सदियों पीछे थे।

विनोद बाबू का वास्तविक रूप से राजनीतिक सफर सामाजिक सुधार और लोगों को शोषण से मुक्ति के लिए जागरण अभियान और सांस्कृतिक आंदोलन से ही शुरू हुआ। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई काम किये। 1969 में इन्होंने 'शिवाजी समाज' का गठन किया और इसका सम्मेलन तोपचांची मानटांड में 6 अप्रैल 1969 ई० में हुआ।⁵ इस संगठन के माध्यम से इन्होंने राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों को भी आगे बढ़ाया। इसके बाद इनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता गया और झारखंड राज्य के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में इनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ।

निष्कर्ष : विनोद बिहारी महतो वास्तविक अर्थों में जमीन से जुड़े नेता थे। आम जनता की जिन समस्याओं और जीवन संघर्षों को लेकर ये राजनीति में आये, वे उनके खुद के जीवन संघर्ष थे। उन्होंने उन सारी तकलीफों को करीब से देखा ही नहीं था बल्कि भोगा भी था। अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ उन्होंने सीधे राजनीतिक आंदोलनों से न करके लोगों के सामाजिक, आर्थिक प्रश्नों को लेकर संघर्ष से किया था इसलिए वे सिर्फ राजनेता या आंदोलनकारी के रूप में ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं।

संदर्भ संकेत :-

1. विद्याभूषण (2018). झारखंड : समाज, संस्कृति और साहित्य. झारखंड झरोखा, रांची, पृ० 18.
2. विद्याभूषण (2012). इतिहास के मोड़ पर झारखंड. प्राक्कथन, क्राऊन पब्लिकेशन, रांची.
3. बलवीर दत्त (2014). कहानी झारखंड आंदोलन की. क्राऊन पब्लिकेशन, रांची पृ० 90.
4. डॉ० विनय कुमार (2012). बिहार-सृजन से शताब्दी वर्ष. बिहार राज्य अभिलेखागारनिदेशालय, पटना, पृ० 229.
5. शैलेन्द्र महतो (2015). झारखंड की समर गाथा. दानिश बुक्स, गाजीपुर, पृ० 209.

तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव – एक अध्ययन

(झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के विशेष संदर्भ में)

डॉ अशोक कुमार किस्कू

पीएच.डी., शिक्षाशास्त्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 37-42

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोध सार - स्कूलों और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि पर तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को पहचानना और इन मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाएं प्रदान करना, तनाव कम करने की तकनीकों को बढ़ावा देना और एक सहायक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना शामिल हो सकता है। छात्र कल्याण को प्राथमिकता देकर, स्कूल छात्रों को अकादमिक और व्यक्तिगत रूप से उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। यद्यपि तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसे बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है इस पर कई शोध हुए हैं किंतु जनजातीय समुदाय के बच्चों के परिप्रेक्ष्य में इस पर और भी शोध की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोधपत्र झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के विशेष संदर्भ में तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन है। यह शोध मुख्य रूप द्वितीयक आंकड़ों जी विभिन्न शोध पत्र, आलेख एवं प्रतिवेदन से प्राप्त किए गए हैं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के बच्चों में तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाना एवं इसका शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का आंकलन करते हुए भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

कुंजी शब्द : तनाव, मानसिक स्वास्थ्य शैक्षिक उपलब्धि, अनुसूचित जनजाति।

परिचय : झारखंड आदिवासी समुदायों की एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखंड की जनजातीय आबादी लगभग 87 लाख (8.7 मिलियन) है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 26% है। झारखंड में 32 आदिवासी समुदायों में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरिया और भूमिज शामिल हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ, भाषाएँ और परंपराएँ हैं, और ये राज्य के विभिन्न भागों में केंद्रित हैं। संथाल और उरांव समुदाय झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं, जिनकी आबादी 30 लाख (3 मिलियन) से अधिक है। झारखंड की आदिवासी आबादी गरीबी, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी और भेदभाव सहित कई चुनौतियों का सामना करती है। राज्य सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन मुद्दों को हल करने और राज्य में जनजातीय समुदायों के समग्र कल्याण में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे तो पुरे झारखण्ड में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर कम देखने को मिलता है किंतु

जनजातीय समुदाय के परिप्रेक्ष्य में यह एक अत्यंत चिंता का विषय है कई कारणों से इस समुदाय के बच्चों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की खराब स्थिति एक गंभीर समस्या बनी हुई है ।

तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव- तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तनाव चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह पुराना हो जाता है, तो यह एक छात्र की ध्यान केंद्रित करने, सीखने और अकादमिक रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। चिंता, अवसाद और ADHD जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जब छात्र तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं, तो उनकी ध्यान केंद्रित करने और जानकारी को बनाए रखने की क्षमता क्षीण हो सकती है। इससे नई सामग्री सीखना, प्रभावी ढंग से अध्ययन करना और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल हो सकता है। पुराने तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खराब शैक्षणिक प्रदर्शन हो सकता है, जिसमें निम्न ग्रेड और टेस्ट स्कोर शामिल हैं। छात्र समय पर असाइनमेंट पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, या अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए अभिभूत और अनुत्तेजित महसूस कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले छात्रों के स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक हो सकती है, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बार-बार अनुपस्थित रहने से क्लासवर्क को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है और पिछड़ने का कारण बन सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे छात्रों को स्कूल छोड़ने का अधिक जोखिम हो सकता है, जो उनके भविष्य के अवसरों और सफलता की संभावनाओं को सीमित कर सकता है।

झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति के बच्चों में तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति : झारखंड में अनुसूचित जनजाति के बच्चों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की विशिष्ट स्थिति पर सीमित शोध है। हालांकि, कुछ अध्ययन और रिपोर्ट हैं जो बताते हैं कि गरीबी, भेदभाव और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी सहित कई कारकों के कारण इन बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निम्हान्स) बैंगलोर में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में झारखंड सहित ग्रामीण भारत में आदिवासी समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की व्यापकता की जांच की गई। अध्ययन में पाया गया कि गैर-आदिवासी समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रसार अधिक था, जिसमें अवसाद, चिंता और मादक द्रव्यों के सेवन सबसे आम मुद्दे थे (खंडेलवाल और अन्य, 2013)। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी (JTDS) द्वारा प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में आदिवासी बच्चों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें गरीबी, भेदभाव और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच की कमी शामिल हैं (JTDS), 2018)। रिपोर्ट में झारखंड में आदिवासी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में आदिवासी बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति चिंता का एक प्रमुख कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में आदिवासी बच्चों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच की कमी और खराब रहने की स्थिति (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 2018) शामिल हैं। रिपोर्ट में कई प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रकाश डाला गया है जो झारखंड में आदिवासी बच्चों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय हैं। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में लगभग 45% आदिवासी बच्चे कम वजन के हैं, और लगभग 50% ठिगने हैं। कुपोषण आदिवासी बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है, और उनके शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर

लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। झारखंड में जनजातीय बच्चों को खराब रहने की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी के कारण मलेरिया, तपेदिक और डायरिया जैसे संक्रामक रोगों का अधिक खतरा है।

इन मुद्दों को हल करने और झारखंड में आदिवासी बच्चों की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से, जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए कई हस्तक्षेपों को लागू कर रहा है। इस प्रकार झारखंड में अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर विशेष रूप से सीमित शोध केंद्रित है, यह स्पष्ट है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन मुद्दों को हल करने और इन बच्चों और उनके समुदायों की समग्र भलाई में सुधार के लिए लक्षित समर्थन प्रदान करने के प्रयासों की आवश्यकता है।

झारखण्ड में जनजातीय समुदाय के बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि : झारखंड में जनजातीय समुदाय के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की जांच पर कई अध्ययन शोधकर्ताओं ने किए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने झारखंड में आदिवासी किशोरों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ तनाव, चिंता और अवसाद के बीच संबंध की जांच की। अध्ययन में पाया गया कि तनाव, चिंता और अवसाद के उच्च स्तर महत्वपूर्ण रूप से कम शैक्षणिक प्रदर्शन से जुड़े थे (कुमार एट अल, 2017)। इसी प्रकार एक अन्य अध्ययन जो जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है झारखंड में आदिवासी छात्रों के बीच अकादमिक प्रदर्शन पर तनाव के प्रभाव का पता लगाया। अध्ययन में पाया गया कि तनाव ने अकादमिक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और आदिवासी छात्रों के बीच तनाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता की सिफारिश की (कुमार और कुमार, 2018)। इसी तरह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ने झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी बच्चों के बीच मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की। रिपोर्ट में पाया गया कि आदिवासी बच्चों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि गरीबी, भेदभाव और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी। रिपोर्ट में इन चुनौतियों से निपटने और आदिवासी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है (एनसीपीसीआर, 2019)।

इसी प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (IJEDICT) का उपयोग कर शिक्षा और विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने झारखंड में आदिवासी छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रौद्योगिकी-सक्षम शैक्षिक हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच की। अध्ययन में पाया गया कि हस्तक्षेप ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में काफी सुधार किया, विशेष रूप से गणित और विज्ञान में (भौमिक और मुखर्जी, 2017)। जर्नल ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने झारखंड में आदिवासी छात्रों की शैक्षिक स्थिति और उपलब्धि का पता लगाया। अध्ययन में पाया गया कि जहां आदिवासी और गैर-आदिवासी छात्रों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण असमानताएं थीं, वहीं स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास, छात्रवृत्ति के प्रावधान और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे हस्तक्षेप आदिवासी छात्रों के शैक्षिक परिणामों में सुधार कर सकते हैं (राशिद और अंसारी, 2016)। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी बच्चों की शैक्षिक स्थिति और उपलब्धि की जांच की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि जहां आदिवासी बच्चों को गरीबी, भेदभाव और शिक्षा तक पहुंच की कमी जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी जैसे हस्तक्षेपों से उनकी शैक्षिक उपलब्धि में काफी सुधार हो सकता है (एनसीईआरटी, 2010)।

सुझाव एवं निष्कर्ष : झारखंड के आदिवासी बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन में सुधार के विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं-

- **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार:** झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अधिक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करके और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करके किया जा सकता है।
- **समुदाय स्तर पर जागरूकता:** मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और तनाव को प्रबंधित करने के तरीके के बारे में जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों जैसे समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **विद्यालय स्तर पर सहायता:** आदिवासी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल परामर्श सेवाओं, सहकर्मी सहायता कार्यक्रमों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **गरीबी निवारण :** आदिवासी समुदायों के बीच गरीबी एक प्रमुख तनाव है। आजीविका कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से गरीबी को दूर करने से आदिवासी बच्चों के बीच तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा:** मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव को कम करने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि को दिखाया गया है। खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जनजातीय बच्चों के बीच शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने से उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
- **परिवारों की भागीदारी :** परिवार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों में परिवारों को शामिल करना आदिवासी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में प्रभावी हो सकता है।

वहीं शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं -

- **शिक्षा तक पहुंच में सुधार:** झारखंड में आदिवासी बच्चों के बीच शैक्षिक उपलब्धि की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक शिक्षा तक पहुंच की कमी है। अधिक स्कूलों का निर्माण करके, स्कूलों को परिवहन प्रदान करके और दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए अधिक शिक्षकों की भर्ती करके शिक्षा तक पहुंच में सुधार किया जा सकता है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना :** शैक्षिक उपलब्धि में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करके, शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके और ऐसा पाठ्यक्रम विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है जो आदिवासी बच्चों के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और प्रासंगिक हो।

- **गरीबी को दूर करना** : गरीबी शैक्षिक उपलब्धि के लिए एक प्रमुख बाधा है। आजीविका कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से गरीबी को दूर करने से आदिवासी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- **पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना** : झारखंड में आदिवासी बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, और यह शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसी पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने और पूरक आहार वितरित करने से आदिवासी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
- **माता-पिता की भागीदारी को बढ़ावा देना**: बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए माता-पिता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्कूल माता-पिता-शिक्षक बैठकों का आयोजन करके, अपने बच्चे की प्रगति पर नियमित अपडेट प्रदान करके और उन्हें स्कूल की गतिविधियों में शामिल करके अपने बच्चों की शिक्षा में माता-पिता को शामिल कर सकते हैं।
- **शैक्षणिक और सामाजिक विकास में सहयोग**: आदिवासी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए शैक्षणिक और सामाजिक विकास दोनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। यह खेल, संगीत और नाटक जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के साथ-साथ परामर्श और सलाह कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों में तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। विभिन्न शोध एवं प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट होता है कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों की शैक्षिक स्थिति एवं शैक्षिक उपलब्धि पर अधिक से अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक तरफ बुनियादी स्तर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है वहीं दूसरी तरफ विशेष हस्तक्षेप योजनाओं को सही से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भग्रंथ सूची :

1. Bhowmik, S. K., & Mukherjee, S. (2017). Technology-Enabled Educational Intervention: Impact on Tribal Students' Academic Achievement in Jharkhand, India. *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT)*, 13(2), 99-118.
2. Jharkhand Tribal Development Society (JTDS). (2018). Tribal development in Jharkhand. Retrieved from http://jtds.nic.in/downloads/annual_report.pdf
3. Khandelwal, S. K., Jhingan, H. P., Ramesh, S., Gupta, R. K., & Srivastava, V. K. (2013). India mental health country profile. *International Review of Psychiatry*, 25(1), 10-17.
4. Kumar, R., & Kumar, A. (2018). Impact of stress on academic performance of tribal students in Jharkhand, India. *Journal of Medical Science and Clinical Research*, 6(7), 285-291.
5. Kumar, R., Sharma, M., Singh, A., & Chandra, R. (2017). Association between stress, anxiety, and depression with academic performance among tribal adolescents in Jharkhand, India: A cross-sectional study. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 39(3), 337-341.
6. National Health Mission, Government of Jharkhand. (2018). State health profile Jharkhand. Retrieved from http://www.nrhmjharkhand.org/publication/shp/State_Health_Profile_Jharkhand_2018.pdf

7. NCERT. (2010). Educational status of Scheduled Tribes in India. Retrieved from https://www.ncert.nic.in/pdf/reportstudies/Educational_Status_of_Scheduled_Tribes_in_India.pdf
8. NCPCR. (2019). Mental health of children in India. Retrieved from <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1767&lid=1921>.
9. Rashid, M., & Ansari, A. H. (2016). Educational Status and Achievement of Scheduled Tribe Students: A Study on Jharkhand State of India. Journal of Educational and Social Research, 6(3), 123-130.

21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियाँ और शिक्षा बजट –एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ उषा ओझा

सहायक प्राध्यापिका, तथागत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, धनबाद, झारखण्ड

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 43-50

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोध सार : अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लायी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 ने देश में शिक्षा पर एक नई बहस को जन्म दिया है। बहस अपरिहार्य है क्योंकि यह शिक्षा नीति तय करेगी की 21 वीं सदी के भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। बदलते सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय परिस्थिति में समकालीन समाज के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को पुनर्संरचित एवं पुनर्व्यवस्थित कर मजबूत बनाना जरूरी होता है। निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति भारतीय समाज की उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा को नई दिशा देने वाला अहम दस्तावेज है। किंतु जानकारों की माने तो सबसे बड़ी चिंता इसे सफलता पूर्वक लागू करने में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा समय कई चुनौतियाँ हैं जो नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के समक्ष बड़ी बाधा के रूप में खड़ी हैं – शिक्षा बजट इसमें सबसे बड़ी चुनौती है। अतः वर्तमान आलेख 21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में सुधार हेतु बजटीय आवंटन की समीक्षा प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों के गहन विश्लेषण पर आधारित है एवं इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा की मौजूदा एवं उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय प्रावधानों की समीक्षा कर सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

कुंजी शब्द : 21वीं सदी, भारत, शिक्षा बजट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

परिचय : हम जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और इसमें भी सबसे बड़ी आबादी विद्यार्थियों की है। अर्थात् भारत में मानव संसाधन के विकास की आपार संभावनाएं हैं। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला यह देश उपलब्ध विपुल प्राकृतिक संसाधनों का अपेक्षित उपयोग की संभावनाओं से विकासकेंद्रित निवेश के लिए विश्व को आकर्षित कर रहा है। एक ओर जहाँ भारत 21वीं सदी के मुख्य सूत्रधारकों में एक है, ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ के एक-एक लोगों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से शिक्षित करना अपरिहार्य हो जाता है। दूसरी तरफ भारत हमेशा से चिंतनशील एवं सृजनशील मानव मस्तिष्क की जन्म भूमि रही है जिसे पश्चिम ने भी स्वीकारा है इसलिए भारतीय संस्कृति के परम्परागत मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी है जिसे शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर शैक्षिक अवसंरचना के साथ – साथ बुनयादी अवसंरचना का विकास, इन-सर्विस फैकल्टी ट्रेनिंग की देशव्यापी व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य स्तर पर विवादों का निपटारा, समुदाय स्तर पर भागीदारी, लालफितासाही पर नियंत्रण, शिक्षा के राजनीतिकरण, प्रभावशाली योजनाओं का निर्माण, कानूनों एवं संवैधानिक प्रावधानों को सबकी सहमती से लाना, अधिक से अधिक फण्ड की आवश्यकता को पूरा करना ,

पहले से व्याप्त सामाजिक - आर्थिक विषमता की समस्या आदि कई ऐसे बुनियादी मसलें हैं जो 21 वीं सदी के भारतीय शिक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का बजट कितना हो और इसे कैसे पूरा किया जाएगा यह एक चिंतनीय प्रश्न है।

21वीं सदी के भारत में शिक्षा की उभरती चुनौतियाँ

भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश है। शिक्षा मंत्रालय से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए भारत में स्कूलों और उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 27.37 करोड़ था। 2021 तक भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.39 बिलियन या 139 करोड़ होने का अनुमान है (विश्व बैंक, 2021)। इसलिए, भारत की लगभग 19.69% आबादी 2019-20 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा में नामांकित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में साक्षरता दर 74.04% है (भारत की जनगणना, 2011)। 2018-19 तक, भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 99.2% था, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए यह 92.8% था। माध्यमिक शिक्षा के लिए जीईआर 60.7% था, जबकि उच्च शिक्षा के लिए यह 26.3% था (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। 2018-19 तक, भारत में कुल 15,07,869 स्कूल थे। इनमें से 10,53,523 प्राथमिक विद्यालय थे, 3,13,708 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, 1,10,998 माध्यमिक विद्यालय थे, और 29,640 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, भारत में केवल 993 विश्वविद्यालय और 39,931 कॉलेज हैं (एआईएसएचई, 2020)। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2018-19 तक, प्राथमिक शिक्षा के लिए महिला जीईआर 94.3% थी, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए यह 86.5% थी (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। (एएसईआर) 2018 के अनुसार, 6-17 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों के लिए ड्रॉपआउट दर 4.9% थी (एएसईआर केंद्र, 2018)। भारत में शिक्षा के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य इस बात को इंगित करता है कि शिक्षा के मामले में भारत ने विगत वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है किंतु अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिसका समाधान जरूरी है जैसे -

- **स्कूल के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता:** स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या के साथ, भारत ने शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत के केवल 8.6% स्कूलों में बिजली, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं (NSSO, 2018)। इसी तरह, कक्षाओं और योग्य शिक्षकों की कमी देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है। स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता को कोविड-19 महामारी द्वारा और अधिक उजागर किया गया है, जिसने स्कूलों के लिए ऑनलाइन सीखने के लिए डिजिटल तकनीक और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच बनाना आवश्यक बना दिया है। हालांकि, भारत में कई स्कूलों में ऐसी तकनीक तक पहुंच नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के लिए शिक्षा में काफी व्यवधान आया है।

- **उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता:** भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को बुनियादी ढांचे की कमी और अनुसंधान और विकास के लिए धन की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, भारत में केवल 993 विश्वविद्यालय और 39,931 कॉलेज हैं (एआईएसएचई, 2020)। यह 1.3 अरब से अधिक आबादी वाले देश के लिए अपर्याप्त है, जहां उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण मांग है। इसके अलावा, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे की कमी से प्रभावित होती है, जिसमें अपर्याप्त कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। यह भारत में अनुसंधान और नवाचार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि ये सुविधाएं एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक हैं जो रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे।
- **डिजिटल डिवाइड:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी परिवारों के 42% की तुलना में केवल 23% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है। महामारी के दौरान यह डिजिटल विभाजन ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले परिवारों के छात्रों के पास डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल नहीं कर रहा है। इसके अलावा, शिक्षण की गुणवत्ता देश भर में एक समान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच रखने वाले और नहीं करने वाले छात्रों के बीच विभाजन बढ़ता जा रहा है।
- **शिक्षा का निजीकरण:** ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप संपन्न परिवारों के छात्रों के बीच विभाजन बढ़ गया है जो निजी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं और कम आय वाले परिवारों के छात्र जो नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि निजी स्कूल अक्सर अत्यधिक फीस वसूलते हैं, जो कई परिवारों के लिए वहन करने योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप निजी और सरकारी स्कूलों में छात्रों के बीच शिक्षा के परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर आया है।
- **शिक्षा बजट:** शिक्षा के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा के लिए धन का आवंटन अपर्याप्त रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा पर सरकार का खर्च वर्षों से घट रहा है, और शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का आवंटन अपर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान में निवेश की कमी हुई है।


- **अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण:** नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर्याप्त हैं और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस नहीं करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यावहारिक कौशल और कक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है।
- **समावेशी शिक्षा की आवश्यकता:** भारत में, बच्चों के एक महत्वपूर्ण अनुपात के पास शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2020 के अनुसार, 6-17 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 59% बच्चों के पास ऑनलाइन सीखने के लिए स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक पहुंच है (एएसईआर, 2021)। इसके अलावा, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों जैसे वंचित समुदायों के बच्चों को गरीबी, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विकलांग बच्चों को भी भारत में शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2.2% विकलांग बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं (NSO, 2018)। स्कूलों और कॉलेजों में पहुंच और समावेशी प्रथाओं की कमी विकलांग बच्चों के लिए सीखने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। समावेशी शिक्षा इन चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो। समावेशी शिक्षा अभ्यास एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है जो सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

भारत में शिक्षा बजट – एक समीक्षा : शिक्षा किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्व है। भारत में, शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त धन सहित कई चुनौतियों का सामना कर रही है। शिक्षा के लिए सरकार का बजटीय आवंटन कम रहा है, और शिक्षा क्षेत्र को बजट में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने लगातार शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, शिक्षा के लिए वास्तविक बजटीय आवंटन जीडीपी की तुलना में कम रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, सरकार का लक्ष्य शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का है। हालांकि, 2021-22 के बजट में, शिक्षा के लिए आवंटन जीडीपी का केवल 3.4% था (वित्त मंत्रालय, 2021)। यह राशि शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपर्याप्त है।

तालिका संख्या -01

पिछले दस वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए आवंटन

वित्तीय वर्ष	शिक्षा के लिए आवंटन (करोड़ रूपये में)	कुल बजट का प्रतिशत	कुल जी.डी.पी.का प्रतिशत
2014-15	67,398	3.74%	2.9%
2015-16	69,074	3.84%	2.7%
2016-17	72,394	3.72%	2.5%
2017-18	79,685.95	3.71%	2.7%
2018-19	85,010.32	3.48%	2.7%
2019-20	94,853.64	3.16%	3.1%
2020-21	99,311.52	4.62%	3%
2021-22	93,224.31	6.13%	3.1%
2022-23	1.04 लाख	8.0%	लगभग 3%
2023-24	1.12 लाख	8.3%	लगभग 3%



(स्रोत : केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बजट की राशी में निरंतर वृद्धि तो हुई है और यह स्वाभाविक भी है किंतु जीडीपी में यह बढ़ोतरी 2.5 -3.0 प्रतिशत के बिच रहा है जो एक तरह से नगण्य है । अपर्याप्त बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षा क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। प्रमुख समस्याओं में से एक पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में कक्षाओं, फर्नीचर और स्वच्छता सुविधाओं सहित उचित बुनियादी ढांचा नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, और छात्र उपयुक्त वातावरण में सीखने में असमर्थ होते हैं। दूसरी समस्या शिक्षकों की कमी है। कम बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षकों को भर्ती करने के लिए धन की कमी हो गई है, और कई स्कूलों को अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ प्रबंधन करना पड़ता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, और छात्रों को पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अपर्याप्त बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संसाधनों की कमी भी हुई है। शिक्षा क्षेत्र को अनुसंधान और विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए धन की आवश्यकता है। हालांकि, कम बजटीय आवंटन के कारण, इन क्षेत्रों को अक्सर उपेक्षित किया जाता है। अतः शिक्षा के लिए अपर्याप्त बजटीय आवंटन एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका भारत का शिक्षा क्षेत्र सामना कर रहा है। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा बजट बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। धन का आवंटन इस तरह से किया जाना चाहिए जो समान वितरण सुनिश्चित करे और समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता दे।

निष्कर्ष : 21वीं सदी के भारत के शैक्षिक बजट में कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की शिक्षा प्रणाली तेजी से बढ़ती आबादी और उभरती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा कर सके। सबसे पहले, सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए धन आवंटित करना चाहिए। इसमें योग्य शिक्षकों को काम पर रखना और प्रशिक्षण देना, आधुनिक शैक्षिक मानकों को दर्शाने के लिए पाठ्यक्रम को अद्यतन करना और स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जैसे स्वच्छ पानी और कार्यात्मक शौचालय प्रदान करना शामिल है । साथ ही सरकार को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें नए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निवेश करना, कम आय वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना और युवाओं को आज के रोजगार बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना शामिल है। साथ ही सरकार को नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वंचित समुदायों के लिए शिक्षा के परिणामों में सुधार करने की पहल को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा में प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रमों में निवेश करना शामिल है। इस प्रकार भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा में निवेश महत्वपूर्ण है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास जैसे

प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर और वंचित समुदायों के लिए परिणामों में सुधार की पहल करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसकी शिक्षा प्रणाली 21 वीं की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार है।

संदर्भग्रंथ सूचि :

1. All India Survey on Higher Education. (2020). Ministry of Education, Government of India. Retrieved from <https://aishe.nic.in/aishe/dashboard>
2. Annual Status of Education Report. (2021). ASER 2020 Wave 1 Findings. Pratham Education Foundation. Retrieved from <https://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%202020/Release%20Material/aser2020release.pdf>
3. ASER Centre. (2018). ASER 2018 India National Report. Retrieved from <https://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202018/National%20PPTs/aser2018IndiaEnglsh.pdf>
4. Census of India. (2011). Literacy Rate. Retrieved from <https://www.censusindia.gov.in/2011census/C-16.html>
5. Government of India. (2021). Budget Speech. Retrieved from <https://www.indiabudget.gov.in/doc/BudgetSpeech.pdf>
6. Khan, A. (2018). The challenges of education in India: Can technology help? UNESCO-UIS. Retrieved from <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/the-challenges-of-education-in-india-2018-en.pdf>
7. Ministry of Education. (2020). Statistical Year Book 2020. Retrieved from <https://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/StatisticalYearBook2020.pdf>
8. Ministry of Finance. (2021). Budget Speech. Retrieved from <https://www.indiabudget.gov.in/doc/BudgetSpeech.pdf>
9. National Education Policy 2020. (2020). Ministry of Education, Government of India. Retrieved from https://www.mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
10. National Sample Survey Office. (2018). Key Indicators of Social Consumption in India: Education. Ministry of Statistics and Programme Implementation,

- Government of India. Retrieved from <http://www.mospl.gov.in/sites/default/files/publicationreports/KI>
11. National Statistical Office. (2018). Disabled Persons in India: A Statistical Profile. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. Retrieved from http://mospl.nic.in/sites/default/files/publicationreports/Disabledpersons_in_India_2018.pdf
 12. Patel, D. (2019). Challenges in Indian education system: A review. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 9(2), 171-173.
 13. Reddy, M. (2019). Emerging challenges in higher education in India. *International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET)*, 6(2), 111-116.
 14. Singh, A. K., & Singh, R. (2019). Emerging challenges of education in India: A review. *Journal of Education and Practice*, 10(32), 72-80.
 15. Venkatesh, S., & Sambandam, C. (2020). Emerging challenges in Indian higher education. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(Special Issue 3), 1313-1319.
 16. World Bank. (2018). Addressing education quality in India. Washington, DC: World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30512/Addressing-Education-Quality-in-India.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

समग्र विकास हेतु महिला शिक्षा की उपयोगिता

डॉ० शाहेदा सिद्दिकी

प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शा० ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1

January-February-2023

Page Number : 51-57

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश- शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होते हैं। महिला शिक्षा देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.4-0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अंतर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

कूट शब्द : मानव विकास सूचकांक, महिला सशक्तीकरण, मानसिक अवधारणा, समृद्ध और विशाल लैंगिक समानता आदि।

हेनरी क्लिंटन के अनुसार महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार हैं, जिसे अभी तक पूरी तरह प्रयोग नहीं किया जा सका है। वैदिक साहित्य में भी महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना, स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता, स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकार एवं उनमें समानता और उपलब्धियों के प्रति जागरूकता है।

महिला सशक्तीकरण एक मानसिक अवधारणा है। शिक्षा इस अवधारणा का विकास एवं प्रोत्साहन करती है। महिला सशक्तीकरण किसी वैयक्तिक उन्नति की बात नहीं है वरन एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, देश और विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। महिला शिक्षा और सशक्तीकरण सम्पूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि— “वे देश और राष्ट्र जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे कभी महान नहीं बने और न ही भविष्य में कमी होंगे।” यहां महिलाओं का सम्मान, सशक्तीकरण से सीधे-सीधे संबंधित है।¹

महिला सशक्तीकरण के लिए चल रही बहुआयामी प्रक्रिया के कारण जीवन, समाज, राजनीति, कॉर्पोरेट जगत, प्रशासन सभी जगह महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और ज्ञान महिलाओं को सशक्त बनाता है। आर्थिक विकास विशेष रूप से महिला नागरिकों के बीच शिक्षा द्वारा ही पूरा हो सकता है। कोई भी देश कितना भी समृद्ध

और विशाल क्यों न हो, प्रभावी शिक्षा न केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करती है बल्कि उसे यह महसूस करने में भी मदद करती है कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।² व्यावसायिक उपलब्धि, आत्म-जागरूकता और संतुष्टि शिक्षा के प्रभावी उपयोग से सुनिश्चित होंगी।

शिक्षा संभावनाओं के द्वारा खोलती है। अब 21वीं सदी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उन्हें सशक्त बनाना वास्तव में आवश्यक है। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए हम महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा जमीनी स्तर पर महिला सशक्तीकरण के द्वार खोलने की मुख्य कुंजी है। शिक्षा आज के तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर परिवार, समाज और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। महिला शिक्षा निम्न रूपों में सशक्तीकरण में योगदान देती है;

आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा :-

शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा लड़कियों को उनके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में उन्नति करने का अवसर देती है। शिक्षा, महिलाओं में क्षमता निर्माण और कौशल विकास कर उनमें अनेक प्रकार से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।³

स्वास्थ्य सुधार में योगदान :-

जब महिलाएं और लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय लेती हैं। शिक्षित महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पोषण और यौन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकार होती हैं, इसलिए वे खुद को बचाने, अपने परिवार की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्यादा सचेत होती हैं। माना जाता है कि युगांडा में एचआईवी संकुचन दर में कमी लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय नामांकन दर का प्रत्यक्ष परिणाम थी। इस रणनीति को वैश्विक-स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। देश में उच्चतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। प्रजनन दर, कम शिशु और बाल मृत्यु दर वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था पर शैक्षिक प्रभाव के सार्वभौमिक संकेतक हैं, जो केरल में सबसे कम हैं।

शिक्षित महिला अनपेक्षित गर्भधारण और छोटी उम्र में विवाह की बाध्यता अस्वीकार करने में सक्षम :-

गर्भधारण और विवाह जब वांछित और अपेक्षित होते हैं तो लोगों के लिए 'वरदान' औ लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। शैक्षिक स्थिति अनपेक्षित गर्भधारण के सबसे बड़े निर्धारकों में से एक है। एक लेख के अनुसार, दुनियाभर में लगभग 40 प्रतिशत गर्भधारण अनजाने में होते हैं। एक सर्वे के अनुसार, दुनियाभर में हर पांच में से एक महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। शिक्षित महिलाओं के पास गर्भ निरोधकों एवं परिवार नियोजन का अधिक ज्ञान, पहुंच और पसंद होती है। अशिक्षित महिलाओं की 18 साल की उम्र से पहले शादी करने की संभावना माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वालों की तुलना में तीन गुना अधिक है। ऐसे में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करना ही एक समाधान है।

महिला शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विकास :- अंतर्राष्ट्रीय विकास दुनिया में सामाजिक और आर्थिक प्रगति से संबंधित है। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दरों के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स के अनुसार, "लड़कियों की शिक्षा में निवेश विकासशील दुनिया में उपलब्ध सबसे अधिक रिटर्न वाला निवेश हो सकता है।" इसी

प्रकार मानव विकास सूचकांक के तीन संकेतकों में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एवं शिक्षा के औसत वर्ष सम्मिलित हैं। बिना लड़कियों की शिक्षा के किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक बेहतर नहीं हो सकता है। महिला शिक्षा से ही विकसित विश्व का सपना साकार होगा जिसमें विकास के साथ खुशहाली भी होगी।

लैंगिक समानता :- असमानता को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। इसलिए लैंगिक असमानता दूर करने के लिए शैक्षिक समानता अत्यंत आवश्यक है। जेंडर इक्विटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, जो संयुक्त राष्ट्र का चौथा सतत विकास लक्ष्य भी है। लड़कों और लड़कियों के शिक्षा स्तरों के बीच लैंगिक समानता किसी भी देश के विकास का मापदंड और संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए जरूरी है। वर्तमान में जहां पुरुष साक्षरता लगभग 84.7 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता मात्र 70.3 प्रतिशत है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष एवं महिला साक्षरता में 14.4 प्रतिशत का अंतर है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर वर्ष 1951 में 12.3 प्रतिशत था जबकि 1981 तक यह बढ़ कर 26.62 प्रतिशत हो गया।⁴ उसके बाद से यह निरंतर घट रहा है। महिलाओं में सशक्तीकरण सामान्यतः दूसरी पीढ़ी में आता है। पहली पीढ़ी की शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों विशेषकर बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखती हैं जिससे उनकी बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज में अच्छा मुकाम हासिल करती हैं। इसलिए 1981 के बाद से पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर तेजी से कम हुआ है।

शिक्षा से आर्थिक विकास :- महिला शिक्षा की कमी आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करती है। महिला शिक्षा से व्यक्ति और देश दोनों लाभान्वित होते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा में निवेश करते हैं, उन्हें अपने पूरे जीवनकाल में शुद्ध मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। प्रमुख शिक्षा अर्थशास्त्री हैरी पैट्रिनोस के अनुसार, "निजी दर के रिटर्न के अनुमान के अनुसार शिक्षा का लाभ प्रदत्ता निर्विवाद, सार्वभौमिक और वौश्विक है।" महिला शिक्षा में निवेश किए गए संसाधनों पर पुरुषों की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक रिटर्न मिलता है। लड़कियों को एक साल की अतिरिक्त शिक्षा देने से उनके वेतन में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यदि कोई महिला केवल एक वर्ष के लिए माध्यमिक विद्यालय में जाती है, तो शिक्षा का यह अनुभव उसकी जीवनभर की कमाई को 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है।⁵

महिला शिक्षा देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। अनुमान है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.4-0.9 प्रतिशत का अंतर केवल शिक्षा में लिंग अंतर के कारण होता है। महिला शिक्षा समाज में धन के वितरण की समानता को भी बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को विशेषज्ञ कौशल प्रदान कर उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए योग्य बनाती है।

सामाजिक विकास को सकारात्मक बढ़ावा :- महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने वाला समाज ही उन्नत समाज बन सकता है। प्रजनन दर, मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में कमी, लैंगिक समानता, समान अधिकार और अवसर, कम घरेलू हिंसा, परिवार में महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका आदि प्रमुख सामाजिक विकास बिंदु हैं। एक शिक्षित पिता की तुलना में एक शिक्षित मां से जुड़े बच्चों की न केवल जीवित रहने की उच्च दर अधिक होती है बल्कि उन्हें बेहतर पोषण भी मिलता है। शैक्षिक सुविधाओं की बेहतर पहुंच और स्थिति बालश्रम से जुड़े गरीबी के दुष्क्रम को तोड़ने में मदद कर सकती है।

शिक्षा नारी को अनेक बंधनों से मुक्त कर उनके लिए एक नई प्रबुद्ध दुनिया के द्वार खोलती है। शिक्षा सामाजिक बुराइयों—दहेज, यौन उत्पीड़न, कुप्रथाओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझने और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में सक्षम और समर्थ बनाती है।

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति :- 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के संवैधानिक निर्देश के बावजूद लड़कियों में शिक्षा की प्रगति धीमी रही है। स्वतंत्रता के बाद से पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर है जिसे तालिका-1 में देखा जा सकता है।

भारत में साक्षरता दर 1951 में 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई, जिसमें शिक्षा में महिलाओं का नामांकन भी 7 प्रतिशत से बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गया। 2011 में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गया, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता 82.14 और 65.46 प्रतिशत थी।

वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात और विभिन्न कक्षाओं में संक्रमण दर को तालिका-3 से समझा जा सकता है।

महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएं :- महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए महिला शिक्षा में प्रमुख अवरोधों को समझना आवश्यक है। समाज की अत्यधिक पितृसत्तात्मक प्रकृति, पारंपरिक रूढ़िवादी सोच, कम उम्र में विवाह, बालश्रम और संरचनात्मक और संस्थागत कारक के कारण देश की अधिकांश महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। भारतीय परिवारों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बालिकाएं घर के कामों जैसे भाई-बहन की देखभाल, पानी लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, सफाई और खाना बनाना आदि की जिम्मेदारियों को निभाती हैं जिससे इन बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक प्रथाएं बालिकाओं की उपेक्षा और बालिकाओं के प्रति भेदभाव के मुख्य कारणों के रूप में कार्य करती हैं। इस कारण या तो लड़कियों का स्कूलों में नामांकन नहीं होता या बाद में स्कूल सिस्टम से ड्रॉपआउट हो जाता है।⁶

भारत में, लड़कियों के लिए स्कूल का माहौल दिलचस्प और उत्साहजनक होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं—पीने के पानी, शौचालय की सुविधा की कमी और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त व्यवस्था लड़कियों की शिक्षा में बाधक हैं। अब जबकि यह सर्वविदित है कि महिलाओं के सक्रिय योगदान के बिना समाज कार्य नहीं कर सकता है, इन बाधाओं को दूर कर महिला शिक्षा को बढ़ाना ही होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला शिक्षा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) की एक समान सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनेक प्रावधानों का सुझाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 6.2 में लिंग (महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में एक माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन समस्याओं और बाधाओं को चिन्हित करती है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर-समावेशी कोष की स्थापना की सिफारिश एक क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर

समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी ताकि बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके।

तालिका-1 : पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला (प्रतिशत में)
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	24.9	7.3
1961	24.0	34.4	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	47.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

तालिका-2

संकेत क	2020-21											
	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			सेकेंडरी			सीनियर सेकेंडरी		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	टोटल
सकल नामांक न अनुपात	102.2 2	104.4 5	103.2 8	91.6 4	92.7 4	92.1 7	80.0 5	79.4 5	79.7 7	52.9 9	54.6 5	53.7 9
शुद्ध नामांक न अनुपात	91.58	93.79	92.63	73.5 7	74.5 1	74.0 2	52.5 7	52.3 7	52.4 7	33.8 8	35.6 0	34.7 1
	प्राइमरी से अपर प्राइमरी			अपर प्राइमरी से सेकेंडरी			सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी					
संक्रमण दर	91.64	91.88	91.76	90.9 8	88.7 5	89.8 9	71.9 9	73.6 0	72.7 6			

केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना :- शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के अधीन हैं, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक निरंतर पहुंच हो, केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समेकित किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

लड़कियों तक स्कूली शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटने के लिए, राज्य द्वारा शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खोलना कक्षा आठवीं तक की लड़कियों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का प्रावधान, आठवीं कक्षा तक की सभी लड़कियों को वर्दी, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

बालिका शौचालय :- शौचालय की सुविधा यद्यपि सभी के लिए आवश्यक है, तथापि बालिकाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बालिका शौचालय का अभाव लड़कियों के ड्रॉपआउट का प्रमुख कारण है। समग्र शिक्षा योजना में सभी स्कूलों में अनिवार्यतः बालिका शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

महिला सशक्तीकरण से महिला शिक्षा :- महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा एक-दूसरे के कारक, पूरक और आत्मनिर्भर हैं। जिस प्रकार शिक्षा महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उसी प्रकार सशक्त महिलाएं शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जहां शिक्षा की पहुंच महिलाओं के जीवन और समाज में महिलाओं की स्थिति को मौलिक रूप से बदलती है, वहीं महिला सशक्तीकरण से शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को नए रूप में पोषित एवं परिभाषित कर उसकी सार्वभौमिक पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष :- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1.4 अरब की आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। वस्तुतः सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के मूल में देश की आधी जनसंख्या (महिला शक्ति) की शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्कफोर्स में हिस्सेदारी, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी विद्यमान है। महिला सशक्तीकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा का भारत इसे वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ संकल्प है। महिलाओं और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से महिला सशक्तीकरण और बेहतर समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बघेल डी.एस., भारत में सामाजिक परिवर्तन, पुष्पराम प्रकाशन रीवा, 1970
2. यादव वीरेन्द्र सिंह, नई सहस्राब्दी का महिला सशक्तीकरण – अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार, ओमेगा, प्रकाशन दिल्ली, 2010
3. कुरुक्षेत्र, भारत सरकार, सितंबर, 2022
4. योजना, भारत सरकार, 2022
5. नव भारत टाइम्स, जून, 2022
6. शर्मा दिवाकर एवं पाण्डेय उमाशंकर, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, निधि प्रकाशन, 2017

काव्यशास्त्र का उद्भव तथा विकास : एक संक्षिप्त परिचय

डॉ. दिलीप कुमार

पूर्व शोध छात्र, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Publication Issue :

Volume 6, Issue 1
January-February-2023

Page Number : 58-62

Article History

Accepted : 01 Feb 2023

Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश

काव्यशास्त्र की विकासयात्रा का मूल्यांकन करने वाले सभी विद्वान् इस शास्त्र का मूल 'ऋग्वेद' को मानते हैं। काव्य के अनेक तत्त्वों में रस का महत्त्व अपरिहार्य है। रस ही काव्य की जीवन्तता है।

मुख्य शब्द

काव्यशास्त्र, उद्भव, विकास, काव्य, साहित्य, दर्शन, अलंकार, रस।

काव्यशास्त्र का उद्भव— 'काव्यशास्त्र' काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्यकृतियों के विश्लेषण के आधार पर समय-समय उद्भावित सिद्धान्तों की ज्ञानराशि है। काव्यशास्त्र को साहित्यशास्त्र तथा अलंकारशास्त्र एवं 'समीक्षाशास्त्र' भी कहा जाने लगा है। संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्र से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ आचार्यों ने प्रतिपादित किये गये हैं जैसे—

- अलंकार सर्वस्व — रूय्यक
- संकेत टीका — माणिक्यचन्द्र सूरि
- दीपिका — चण्डीदास
- काव्यप्रदीप — गोविन्द ठक्कुर
- सुधासागर या सुधाबोधिनी— भीमसेन दीक्षित
- दीपिका — जयंतभट्ट
- काव्यप्रकाशदर्पण — विश्वनाथ कविराज
- विस्तारिका — परमानन्द चक्रवर्ती
- साहित्यदर्पण — विश्वनाथ
- काव्यादर्श — दण्डी

- काव्यमीमांसा — कविराज राजशेखर
- दशरूपकम् — धनंजय
- अवलोक — धनिक
- ध्वन्यालोक — आनन्दवर्धन
- लोचन — अभिनवगुप्त
- काव्यप्रकाश संकेत — माणिक्य चन्द्र
- चन्द्रालोक — जयदेव
- अलंकार सर्वस्व — केशव मिश्र

काव्यशास्त्र की विकासयात्रा का मूल्यांकन करने वाले सभी विद्वान् इस शास्त्र का मूल 'ऋग्वेद' को मानते हैं। ऋग्वेद के मन्त्रों में काव्यशास्त्र से सम्बन्धित रस शब्द का स्पष्ट उल्लेख आता है—

'दधानः कलशे रसम्'

ऋग्वेद की एक उक्ति में उपमा पद का भी स्पष्ट प्रयोग मिलता है—

'ईयुषी रागमुपमा शश्वती नाम'

इस प्रकार रूपक, अतिशयोक्ति, पुनरुक्तनदाभास, लाटानुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। संस्कृत काव्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में डॉ० पी०वी० काणे ने ऋग्वेद के एक मन्त्र को उद्धृत कर उसमें चार उपमाएँ दिखाई हैं—

"अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा होव निरिणीते अप्सः॥

ऋग्वेद 1/124/17

डॉ० काणे ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार की ओर ध्यान आकर्षित करते

हैं—

"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वावत्त्यनश्चन्नन्योऽभिचका सति॥

ऋग्वेद 1.164.20

ऋग्वेद के मन्त्रों में काव्य शब्द का भी उल्लेख मिलता है—

"आदेवानामभवः केतुवग्नेमन्दो विश्वानि काव्यानि विद्वान्॥

अलंकार के लिए सर्वप्रथम ऋग्वेद के सप्तममण्डल में 'अरंकृतिः' शब्द का प्रायेण मिलता है—

'का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः।'

इसके अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के उदाहरण ऋग्वेद में स्थल—स्थल में मिलते हैं।

काव्य के अनेक तत्त्वों में रस का महत्त्व अपरिहार्य है। रस ही काव्य की जीवन्तता है—

'रसाधाधिष्ठितं काव्यं जीवदूरुपतया यतः।'

काव्यशास्त्र के विकास का युग परिचय इस प्रकार है—

(1) पूर्वभरतयुग

(2) भरतयुग

(3) भरतोत्तरयुग

(4) पण्डित राजोत्तर युग

(1) **पूर्वभरतयुग**—यह पूर्व वैदिक संहिताओं से लेकर पौराणिक तथा महाकाव्य के विशालतम वाङ्मय काव्य काव्य शास्त्र की विविध, तत्त्वों तथा सिद्धान्तों से भरा हुआ है। वेद की ऋचाओं में जो काव्यत्व है वही 'आचार्यभरत' के उपजीव्य हैं।

(2) **भरतयुग**— इस युग के महामहिम एकमात्र आचार्य भरत ही हैं। इनका नाट्यशास्त्र नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ इस युग की प्रमाणिकता सिद्ध करता है। नाट्यशास्त्र का छठाँ अध्याय नाट्य एवं काव्य का प्राणस्वरूप है। इसमें भरत जी ने काव्य की आत्मा 'रस तत्त्व' को स्मरण किये हैं—

शृंगारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चे त्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।

आचार्य भरतमुनि ने आठ रसों— शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स एवं अद्भुत को बताये हैं। इसी प्रकार से इन्होंने तीन भाव—स्थायी, संचारी तथा सात्त्विक को बताये हैं। स्थायी भाव 8 प्रकार के इस प्रकार नाट्यशास्त्र में इस प्रकार उल्लेख किये हैं—

रतिहसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा प्रकीर्तिताः।।

इसी प्रकार 33 संचारीभावों को इस प्रकार निर्दिष्ट किये हैं—

'निर्वेदग्लानिशङ्काख्यास्तथाऽसूयामदश्रमाः।

आलस्यं चैव (दैन्य च) चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः

व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा
गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ।।
सुप्तं विबोधोऽमर्षश्चाऽप्यवहित्थमधोग्रता ।
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ।।
त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः ।

आचार्य भरत ने 8 सात्विक भावों को उल्लेख क्रमशः इस प्रकार किये हैं—

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमा च स्वरभङ्गोऽथवेपयुः ।

वैवर्ण्यमश्रु, प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः ।।

नाट्यशास्त्र का 16वाँ अध्याय लक्षणों एवं अलंकारों का है। लक्षणों की संख्या 36 है— भूषण, अक्षरसंघात, आदि लक्षणों के बाद आचार्य ने चार अलंकारों का परिचय दिया है—

‘उपमा दीपकं चैन रूपकं यमकं तथा ।

काव्यस्यैते ह्यलंकाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः ।।

(3) **भरतोत्तरयुग**— भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के बाद अनेक लोक विश्रुत आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि महानाटक कार भास आचार्य भरत से अप्रभावित प्रतीत होते हैं। इसीलिए उन्हें भरत से पूर्ववर्ती स्वीकार किया गया है। कविकुल गुरु कालिदास को भरत का परवर्ती स्वीकार किया गया है। भरतोत्तर युग की प्रमुख विशेषता यह प्राप्त होती है कि उसमें काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र का पृथक्-पृथक् किन्तु समनान्तर विकास हुआ है। आचार्य भरतमुनि के षट्त्रिंशक नाट्यशास्त्र लिखा है। इस ग्रन्थ में काव्य एवं नाट्य दोनों का समन्वित प्रतिष्ठापन हुआ है।

(4) **पण्डित राजोत्तर युग**— पण्डितराज ने तीन प्रमुख काव्यशास्त्रीय काव्य कृतियाँ लिखी हैं—‘चित्रमीमांसा खण्डन, मनोरमाकुचमर्दनटीका’ तथा ‘रस गंगाधर’ की रचना किये हैं। पण्डितराज जगन्नाथ ने इन तीन कृतियों के अतिरिक्त नौ साहित्यिक रचनायें भी रचित की हैं— गंगालहरी, अमृतलहरी, लक्ष्मीलहरी, करुणालहरी, यमुनाभरण आदि प्रमुख हैं। इन काव्य कृतियों में ‘रसगंगाधर’ इनकी अत्यन्त प्रौढ़ कृति है। इस कृति में दो ‘आनन’ उपलब्ध होते हैं। प्रथम आनन में काव्य लक्षण, काव्यहेतु तथा काव्यभेद की समीक्षा की गयी है। द्वितीय आनन में संलस्यक्रमध्वनि का विवेचन, ध्वनि के विविध भेद एवं उपमा से उत्तर तक 70 अलंकारों की उदाहरण सहित व्याख्या की गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० एस०के०दे०: संस्कृत पोएटिक्स, भाग 1.5.1
2. पं० बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र, खण्ड 1-2
3. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-बलदेव उपाध्याय, काव्यमीमांसा, कामसूत्र, ऋग्वेद, 7-29-3
4. अष्टाध्यायी 2-1-55, 2-1-56, 2-3-62
5. महाभाष्य 2-1-56
6. उद्धृत-संस्कृत का समीक्षात्मक अर्वाचीन काव्यशास्त्र-डॉ० अभिराज राजेन्द्र मिश्र
7. नाट्यशास्त्र 6-116
8. नाट्यशास्त्र 6-18

ज्ञानशौर्यम्



Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com